



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2015/माघ 9, 1936

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2015/MAGHA 9, 1936

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 21 जनवरी, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/1/91/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी और 42ई के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- 1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय I

प्रारंभिक

2. परिभाषाएँ :

- 2.1 "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
- 2.2 "आवेदक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

- क. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा उसके किसी अधिनियम के अधीन अथवा प्रचलित किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अधीन गठित कंपनी; अथवा
- ख. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन गठित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी; अथवा
- ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 अथवा सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण के लिए विद्यमान किसी भी कानून के अधीन पंजीकृत सहकारी सोसाइटियाँ; अथवा
- घ. बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी अन्य व्यक्ति।

- 2.3 "अनुमोदित संस्था" से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बीमा विक्रय, सेवा और विपणन के क्षेत्र में शिक्षा और/या प्रशिक्षण में लिस हो।
- 2.4 "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- 2.5 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "परीक्षा निकाय" से तात्पर्य उस परीक्षा निकाय से है जो प्रमाणीकरण परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित हो।
- 2.6 "वित्तीय सेवा कार्यपालक" (एफएसई) वह व्यक्ति है जो बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त हो तथा इन विनियमों के विनियम 3(ग) में विनिर्दिष्ट उत्पादों का विपणन करने के लिए प्राधिकरण को छोड़कर संबंधित अन्य वित्तीय विनियमनकर्ताओं द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस धारण करता हो।
- 2.7 "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) वह मानदंड है जो बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक के प्रधान अधिकारी, निदेशकों अथवा साझेदारों सहित आवेदक के लाइसेंसिकरण हेतु उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए है।
- 2.8 "बीमा विपणन फर्म" वह संस्था है जो इन विनियमों के विनियम 3(क) में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा उत्पादों की अपेक्षा अथवा प्रापण करने, इन विनियमों के विनियम 3(ख) में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा सेवा संबंधी कार्यकलाप करने तथा ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों का विपणन, वितरण और सेवा करने के लिए लाइसेंसप्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के द्वारा इन विनियमों के विनियम 3(ग) में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत है।
- 2.9 "बीमा विक्रेता" (आईएसपी) वह व्यक्ति है जो बीमा उत्पादों की अपेक्षा अथवा प्रापण करने के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त है तथा इसके प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाणपत्र धारण करता है।
- 2.10 "बीमा संबंधी सेवा कार्य" से इन विनियमों के विनियम 3(ख) में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप अभिप्रेत हैं।
- 2.11 बीमा विपणन फर्म के "प्रधान अधिकारी" से केवल बीमा विपणन फर्म के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए उसके द्वारा इस प्रकार पदनामित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निदेशक अथवा साझेदार अथवा कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अभिप्रेत है जो आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त है तथा जिसने इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- 2.12 "विनियम" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 अभिप्रेत है।
- 2.13 जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित हैं, परंतु जिनकी परिभाषा समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अंतर्गत बनाये गये किन्हीं भी विनियमों/दिशानिर्देशों में दी गई है, उनका अर्थ वही होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों में उनके लिए दिया गया है।

3. इन विनियमों का विस्तार और प्रयोज्यता :

इन विनियमों में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे

क. प्राधिकरण को सूचित करते हुए किसी भी समय दो जीवन, दो साधारण और दो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने के प्रयोजन के लिए बीमा विक्रेता (आईएसपी) को नियुक्त करने के द्वारा बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण :

बशर्ते कि साधारण बीमा के संबंध में बीमा विपणन फर्म को फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों में दिये गये रूप में बीमा उत्पादों की केवल खुदरा व्यवस्थाओं अर्थात् मोटर, स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना, गृहस्वामियों, दुकानदारों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने के लिए अनुमति दी जाएगी :

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि बीमा कंपनियों के साथ वचनबद्धता में कोई भी परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के साथ तथा वर्तमान पॉलिसीधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ ही किया जाएगा।

ख. निम्नलिखित द्वारा बीमा विपणन फर्म के बीमा संबंधी सेवा कार्य :

- i. बीमा कंपनियों द्वारा कार्यकलापों के आउटसोर्सिंग के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में अनुमत रूप में बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्यकलाप करना;
- ii. बीमा रिपोज़िटरियों का अनुमोदित व्यक्ति बनना;
- iii. अपने कर्मचारियों के रूप में लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को नियुक्त करने के द्वारा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना;

iv. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमति-प्राप्त बीमा संबंधी कोई भी अन्य कार्यकलाप।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बीमा विपणन फर्म केवल उन्हीं बीमा कंपनियों के संबंध में बीमा सेवा कार्य करेगा जिनके साथ बीमा उत्पादों की अपेक्षा अथवा प्रापण करने के लिए उन्होंने करार किया हो;

ग. बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त वित्तीय सेवा कार्यपालक (एफएसई) के माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों का विपणन अर्थात् :

- i. सेबी द्वारा विनियमित म्युचुअल फंड कंपनियों के म्युचुअल फंड;
- ii. पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन उत्पाद;
- iii. सेबी से लाइसेंसप्राप्त निवेश सलाहकारों द्वारा वितरित अन्य वित्तीय उत्पाद;
- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बैंकिंग/वित्तीय उत्पाद;
- v. डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले बीमे से इतर उत्पाद;
- vi. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमत कोई अन्य वित्तीय उत्पाद अथवा कार्य।

अध्याय II

बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण

4. बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन :

4.1 बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करेगा :-

- (क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में फार्म ए में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ पाँच हजार रुपये का वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क और लागू कर प्रेषित करेगा।
- (ग) निर्धारित फार्म में अथवा उस अतिरिक्त रूप में जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करते हुए प्रधान अधिकारी/निदेशकों/प्रबंध भागीदारों की घोषणा के साथ आवेदन फार्म ए में विस्तृत रूप से उल्लिखित रूप में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (घ) बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रधान अधिकारी और बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) द्वारा बीमा विपणन फर्म की परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- (ङ) यदि बीमा विपणन फर्म कोई भी बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण के कार्य करने का प्रस्ताव करता है, तो बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में प्राप्त लाइसेंस की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- (च) बीमा विपणन फर्म की बीमा रिपोज़िटरी के अनुमोदित व्यक्ति के रूप में प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- (छ) प्रस्तावित कार्यकलाप की व्यवस्था हेतु बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित एफएसई द्वारा प्राप्त सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, पीएफआरडीए, डाक घर द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों अथवा प्राधिकार अथवा रजिस्ट्रीकरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

4.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो हर प्रकार से पूर्ण न हो और/या आवेदन फार्म में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो और/या प्राधिकरण की अपेक्षाओं और/या निदेशों का पालन न करता हो, अस्वीकृत किया जा सकता है।

बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व, आवेदन को सभी प्रकार से पूर्ण करने और त्रुटियाँ, यदि कोई हों, सुधारने के लिए आवेदक को एक उचित अवसर दिया जाएगा।

5. आवेदन पर विचार करना तथा बीमा विपणन फर्म के लिए पात्रता मानदंड :

5.1 रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म द्वारा कार्य किये जाने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।

5.2 उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

- i. क्या आवेदक का कोई भी निदेशक, भागीदार, प्रधान अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रकार पदनामित उसका कोई एक या उससे अधिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी तथा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में मुख्य कार्यपालक, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, अथवा उसके द्वारा पदनामित एक या उससे अधिक कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;

- ii. क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को पूर्व में कोई भी लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से प्राधिकरण द्वारा इनकार किया गया है।
स्पष्टीकरण : इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से" का आशय किसी फर्म या कंपनी या निगमित निकाय के मामले में आवेदक की सहयोगी संस्था, सहायक संस्था अथवा समूह विशेष की कंपनी से है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में उन्हें दिया गया है।
- iii. क्या आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट रूप में पूंजी-पर्याप्तता की अपेक्षाएँ पूरी करता है।
- iv. क्या प्रधान अधिकारी और बीमा विक्रेता (आईएसपी) अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III, जैसी लागू हों, के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
- v. क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी संरचना है, जैसे उसके बीमा विपणन कार्यों के लिए निश्चित पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर तथा उसके कार्यकलाप प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिक शक्ति।
- vi. क्या आवेदक के नाम में शब्द "बीमा विपणन फर्म" है।
- vii. क्या आवेदक जो बीमा कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यकलापों में भी लिप्त है, संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त आवश्यक अनुमोदनों/प्राधिकारों से युक्त है।
- viii. क्या प्राधिकरण की राय में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना पॉलिसीधारकों और अन्य ग्राहकों के हित में होगा।

6. बीमा विपणन फर्म की पूंजीगत आवश्यकताएँ :

6.1 आवेदक के पास कम से कम दस लाख रुपये की निवल मालियत (नेट वर्थ) होगी।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "निवल मालियत" (नेट वर्थ) का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में इसे दिया गया है।

- 6.2 आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि नेट वर्थ का अनुरक्षण हर समय किया जाएगा तथा बीमा विपणन फर्म इस आशय का सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र वार्षिक तौर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करेगा।
- 6.3 संविभाग निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा बीमा विपणन फर्म के ईक्विटी शेयरों की कुल धारिताएँ अथवा अंशदान किसी भी समय बीमा विपणन फर्म की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी अथवा अंशदान के उनचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए विदेशी निवेश का परिकलन उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में बीमाकर्ता के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

7. बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी :

- 7.1 बीमा विपणन फर्म एक प्रधान अधिकारी को पदनामित करेगा जो समग्र रूप से प्रभारी होगा तथा प्राधिकरण के प्रति विनियामक अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- 7.2 प्रधान अधिकारी के लिए पात्रता मानदंड इन विनियमों की अनुसूची I के भाग I में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 7.3 प्रधान अधिकारी के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची I के भाग II में विनिर्दिष्ट की गई है।
- 7.4 प्रधान अधिकारी के लिए लागू योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड इन विनियमों की अनुसूची I के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 7.5 प्रधान अधिकारी के लिए लागू सामान्य पात्रता मानदंड और प्रतिमान इन विनियमों की अनुसूची I के भाग IV में विनिर्दिष्ट हैं।

8. बीमा विपणन फर्म के बीमा विक्रेता (आईएसपी) और वित्तीय सेवा कार्यपालक (एफएसई) के लिए प्रमाणीकरण

- 8.1 बीमा विपणन फर्म में क्रमशः आईएसपी और एफएसई के लिए बीमा और वित्तीय उत्पादों के विपणन हेतु प्रमाणीकरण की आवश्यकताएँ इन विनियमों की अनुसूची II के भाग I में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- 8.2 बीमा विपणन फर्म के आईएसपी के लिए अर्हताएँ और पात्रता मानदंड इन विनियमों की अनुसूची II के भाग II में विनिर्दिष्ट हैं।
- 8.3 बीमा विपणन फर्म के आईएसपी की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची II के भाग III में विनिर्दिष्ट की गई है।
- 8.4 वित्तीय उत्पादों के विपणन के लिए एफएसई की नियुक्ति हेतु अपेक्षाएँ इन विनियमों की अनुसूची II के भाग IV में वर्णित हैं।

- 8.5 आईएसपी और एफएसई के लिए आचरण-संहिता इन विनियमों की अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट है।
 8.6 बीमा विपणन फर्म एक ही व्यक्ति को दोनों बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त कर सकता है, यदि वह इन विनियमों में निर्धारित रूप में योग्यता मानदंड और प्रमाणीकरण की आवश्यकताएँ पूरी करता है।

9. बीमा विपणन फर्म के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे की आवश्यकता :

- 9.1 प्रत्येक बीमा विपणन फर्म एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा प्राप्त करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उसे प्रदान किये गये लाइसेंस की अवधि की विधिमान्यता के दौरान हर समय उसे बनाये रखेगा :
 बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये रजिस्ट्रीकृत बीमा विपणन फर्म को ऐसी पॉलिसी मूल रजिस्ट्रीकरण के निर्गम की तारीख से बारह महीने के अंदर और 10 लाख रुपये की न्यूनतम बीमित राशि के साथ प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देगा।
 9.2 क्षतिपूर्ति की सीमा न्यूनतम 10 लाख रुपये के अधीन बीमा विपणन फर्म के कुल पारिश्रमिक की दुगुनी होगी। इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए कुल पारिश्रमिक में उनके बीमा अपेक्षा/प्रापण कार्यकलापों, बीमा सेवा कार्यों तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य वित्तीय उत्पादों से संबंधित कार्यकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक शामिल है।
 9.3 व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी की सुरक्षा का विस्तार तथा अन्य नियम और शर्तें इन विनियमों की अनुसूची X में विनिर्दिष्ट हैं।

10. बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना :

- 10.1 प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक विनियम 4, 5, 6, 9 और 11 तथा अन्य संबंधित विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों का पालन करता है, फार्म बी में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा।
 10.2 इन विनियमों के अधीन कार्यकलाप/कार्यकलापों की एक विशिष्ट श्रेणी के लिए रजिस्ट्रीकृत बीमा विपणन फर्म कार्यकलाप/कार्यकलापों में वृद्धि/कमी करने के लिए भी आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अनुमति इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूरी करने पर इन विनियमों के अंतर्गत दी जाती है।

11. बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शर्तें :

विनियम 10 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- 11.1 इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमा विपणन फर्म को केवल दो जीवन, दो साधारण और दो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण करने की अनुमति दी जाएगी;
 11.2 बीमा विपणन फर्म समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों तथा उनके अधीन जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और किन्हीं अन्य अनुदेशों का पालन करेगा;
 11.3 यदि बीमा विपणन फर्म द्वारा प्राधिकरण को पूर्व में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना या ब्योरा झूठा अथवा किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में भ्रामक पाया जाता है अथवा पहले से प्रस्तुत की गई सूचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो बीमा विपणन फर्म तत्काल प्राधिकरण को इसकी लिखित रूप में सूचना देगा;
 11.4 बीमा विपणन फर्म ग्राहकों की शिकायतों का निवारण ऐसी शिकायत के प्राप्त होने के से 15 दिन के अंदर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा तथा ऐसे ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विवरण के बारे में प्राधिकरण को ऐसे फार्मेट में और ऐसे तरीके से सूचित करता रहेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसके संबंध में अलग से अधिसूचित किया जा सकता है;
 11.5 बीमा विपणन फर्म अपने आकार तथा अपने द्वारा नियुक्त किये जानेवाले आईएसपी की संख्या के अनुरूप उचित संख्या में बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और प्रापण करेगा;
 11.6 बीमा विपणन फर्म किसी भी परिस्थिति में बहु-स्तरीय (मल्टी-लेवेल) विपणन नहीं करेगा;
 11.7 बीमा विपणन फर्म आईएसपी, एफएसई और उनके द्वारा किये जानेवाले सभी अन्य बीमा सेवा कार्यों पर लागू आचरण-संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
 11.8 बीमा विपणन फर्म अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं/शर्तों/विनियमों का अनुपालन करेगा।

12. बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण की वैधता-अवधि :

- 12.1 इन विनियमों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसे निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है।
 12.2 प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण इन विनियमों की अनुसूची VIII में बताये गये किसी भी कारण से प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

- 12.3 यदि प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित अथवा निरस्त करता है तो बीमा विपणन फर्म नये बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करना समाप्त करेगा तथा वर्तमान पॉलिसियों के संबंध में सेवा प्रदान करना छह महीनों की अवधि के लिए जारी रखेगा जिस अवधि के अंदर बीमा विपणन फर्म द्वारा संबंधित बीमाकर्ताओं अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किये जानेवाले उस अधिकार-क्षेत्र में परिचालन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य बीमा विपणन फर्म द्वारा संविदाओं संबंधी कार्य करने और सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- 12.4 रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के बाद किसी भी बीमा विपणन फर्म को इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण नहीं किया जाएगा। बीमा विपणन फर्म के कार्य करने के प्रयोजनों के लिए वैध रजिस्ट्रीकरण के बिना वे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे।

13. आवेदन का अस्वीकरण : बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण प्रदान न करने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया :

- 13.1 जहाँ विनियम 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन विनियम 5 और 11 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकता है।
बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाएगा।
- 13.2 रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर दी जाएगी तथा उसमें वे कारण बताये जाएंगे जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।
- 13.3 प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- 13.4 प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसपर अपने निर्णय की सूचना आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन के अंदर लिखित रूप में देगा।
- 13.5 अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम 13.4 के अधीन दिये गये आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर एक अपील प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को ऐसी अपील करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है ताकि वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उससे सहमत होते हुए, उसे संशोधित करते हुए अथवा उसे खारिज करते हुए उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित करे जो वह उपयुक्त समझे।
- 13.6 यदि प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण उपर्युक्त उप-विनियम (13.5) के अंतर्गत की गई अपील पर विचार करने के बाद अपील को अस्वीकृत करता है, तो आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए नया आवेदन अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

अध्याय III

बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण

14. बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया -

14.1 बीमा विपणन फर्म रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले फार्म एए में प्रस्तुत करेगा। तथापि, बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पहले नवीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

14.2 आवेदक के द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज नवीकरण आवेदन फार्म एए में उल्लिखित हैं।

14.3 रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन केवल दो हजार रुपये के नवीकरण शुल्क और सेवा कर के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे। आवेदकों को उस स्थिति में अर्थ-दंड के रूप में एक सौ रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास उस तारीख से कम से कम तीस दिन पहले नहीं पहुँचता जिस तारीख को रजिस्ट्रीकरण का प्रचलित होना समाप्त हो जाता है।

बशर्ते कि विलंब के लिए आवेदक द्वारा लिखित रूप में पर्याप्त कारण निर्दिष्ट करने पर प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख के बाद नवीकरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की वास्तविक तारीख से 60 दिन की अवधि तक आवेदक द्वारा केवल सात सौ पचास रुपये के अर्थ-दंड का भुगतान करने पर स्वीकार कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से 60 दिन के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार केवल रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख से 12 महीने व्यतीत होने के बाद ही किया जाएगा। तथापि, अंतराल की अवधि के दौरान बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण की विद्यमानता समाप्त होगी तथा वे मौजूदा पॉलिसियों के संबंध में ऐसी संविदाओं के समाप्त होने तक सेवा प्रदान करने के अलावा किसी भी नये बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेंगे।

14.4 रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी और आईएसपी प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया कम से कम पच्चीस घंटे का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके होंगे।

14.5 इन विनियमों के उप-विनियम 14.1 के अधीन नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसी कि विनियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है।

14.6 आवेदन पर कार्रवाई करते समय प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/डेटा माँग सकता है तथा बीमा विपणन फर्म ऐसी जानकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने से 21 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा माँगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए आवेदक विनिर्दिष्ट कारणों से अतिरिक्त समय की माँग करता है, तो ऐसे अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

14.7 प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए फार्म डी में रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित करेगा।

15. प्रक्रिया जहाँ बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रदान नहीं किया गया हो

15.1 जहाँ विनियम 14 के अधीन नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन विनियम 5 और 11 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाएगा।

15.2 रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के तीस दिन के अंदर उन कारणों को दर्शाते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

15.3 प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

15.4 प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा तथा उस पर अपने निर्णय की सूचना आवेदक को लिखित रूप में पुनर्विचार करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन के अंदर देगा।

15.5 अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम 15.4 के अधीन दिये गये आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर एक अपील प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को ऐसी अपील करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है ताकि वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उससे सहमत होते हुए, उसे संशोधित करते हुए अथवा उसे खारिज करते हुए उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित करे जो वह उपयुक्त समझे।

15.6 यदि प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण उपर्युक्त उप-विनियम (15.5) के अंतर्गत की गई अपील पर विचार करने के बाद अपील को अस्वीकृत करता है, तो आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए नया आवेदन अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदन पर प्राधिकरण उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

16. बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव :

कोई भी आवेदक, जिसका विनियम 14 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, विनियम 15 के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख को और उस तारीख से बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा तथा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करना और बीमा संबंधी कार्यकलाप संचालित करना बंद करेगा। तथापि, बीमा विपणन फर्म इन विनियमों के विनियम 12.3 में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक कदम उठाएगा।

17. बीमा विपणन फर्म को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम -

- 17.1 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए अनुरोध एक हजार रुपये के शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा के साथ प्रस्तुत करेगा।
- 17.2 प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि मूल रजिस्ट्रीकरण खो गया है, नष्ट हो गया है अथवा कटा-फटा है, फार्म सी में एक डूप्लिकेट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस पर एक पृष्ठांकन के साथ जारी करेगा कि यह रजिस्ट्रीकरण की अनुलिपि (डूप्लिकेट) है।

18. वैध रजिस्ट्रीकरण के बिना बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई

- 18.1 ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध रजिस्ट्रीकरण को धारण किये बिना बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के अतिरिक्त और उस पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है।
- 18.2 जहाँ उप-विनियम 18.1 के अंतर्गत आनेवाला व्यक्ति कोई कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी अथवा फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा की जानेवाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी तथा फर्म का प्रत्येक साझेदार, जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर एक पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।

अध्याय IV**बीमा विपणन फर्म का नियंत्रण करनेवाले नियम****19. बीमा विपणन फर्मों के लिए लागू पारिश्रमिक, विक्रेताओं की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र**

- 19.1 बीमा विपणन फर्म को देय पारिश्रमिक का नियंत्रण करनेवाले नियम अनुसूची IV के भाग I में बताये गये हैं।
- 19.2 बीमा विपणन फर्म में आईएसपी और एफएसई की नियुक्ति का नियंत्रण करनेवाले नियम अनुसूची IV के भाग II में बताये गये हैं।
- 19.3 बीमा विपणन फर्म के कार्यक्षेत्र का नियंत्रण करनेवाले नियम अनुसूची IV के भाग III में बताये गये हैं।

20. बीमा विपणन फर्म के कर्तव्य और दायित्व :

बीमा विपणन फर्म के कर्तव्य और दायित्व इन विनियमों की अनुसूची V में निर्दिष्ट हैं।

21. बीमा विपणन फर्म द्वारा ग्राहकों के परिवादों और शिकायतों पर कार्रवाई :

बीमा विपणन फर्म द्वारा ग्राहकों के परिवादों और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए क्रियाविधि इन विनियमों की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

22. बीमा विपणन फर्म का निरीक्षण :

प्राधिकरण के पास बीमा विपणन फर्म के अभिलेखों और उनके कार्यों के निष्पादन का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार है तथा किसी कमी के पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। बीमा विपणन फर्म के निरीक्षण और लेखा-परीक्षा के लिए लागू क्रियाविधि इन विनियमों की अनुसूची VII में उल्लिखित है।

अध्याय V**23. अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया :**

बीमा विपणन फर्म द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम/आईआरडीए अधिनियम/विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची VIII में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

24. बीमा विपणन फर्म को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, निरसन अथवा अभ्यर्पण :

रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, निरसन अथवा अभ्यर्पण के लिए क्रियाविधि इन विनियमों की अनुसूची VIII में दिये गये रूप में होगी।

25. बीमा विपणन फर्म के स्वामित्व/शेयरधारिता में परिवर्तन :

बीमा विपणन फर्म के स्वामित्व/शेयरधारिता में 10 प्रतिशत से अधिक कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

अध्याय VI**विविध****26. अभिलेखों का रखरखाव :**

बीमा विपणन फर्म निम्नलिखित अभिलेखों का रखरखाव करेगा -

- (i) ग्राहक से प्राप्त अधिदेश;
- (ii) ग्राहक के अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी अभिलेख, जैसे कि प्राधिकरण के संबंधित दिशानिर्देशों तथा पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित हैं;
- (iii) बीमा विपणन फर्म द्वारा हस्ताक्षरित एसीआर के साथ ग्राहक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और बीमाकर्ता को प्रस्तुत प्रस्ताव फार्म की प्रति;
- (iv) एक रजिस्टर जिसमें ग्राहकों की सूची, पॉलिसी का विवरण जैसे पॉलिसी का प्रकार, प्रीमियम राशि, पॉलिसी के निर्गम की तारीख, प्राप्त प्रभार अथवा शुल्क दर्ज हों;
- (v) एक रजिस्टर जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतों का स्वरूप और उनपर की गई कार्रवाई दर्ज हो।
- (vi) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई भी अन्य अभिलेख।

27. बीमा विपणन फर्म द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्टें :

27.1 प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म से अपेक्षा कर सकता है कि वह समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले रूप में और तरीके से रिपोर्टें/सूचना प्रस्तुत करें।

27.2 बीमा विपणन फर्म आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ स्थापित करेगा जिन्हें प्राधिकरण की आईटी प्रणालियों अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था की आईटी प्रणालियों के साथ समन्वित किया जाएगा जो निम्नलिखित को प्राप्त करने और उनकी निगरानी करने की क्षमता से युक्त होंगी

- (क) बीमा विपणन फर्म द्वारा आईएसपी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान;
- (ख) कम से कम तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बीमा विपणन फर्म की स्टाफ-सूची में विद्यमान आईएसपी, जब तक कि वह मृत्यु अथवा धोखाधड़ी के कारण अथवा बीमा विपणन फर्म की सेवाओं से त्यागपत्र देने के कारण और जीवन बीमा परिषद अथवा साधारण बीमा परिषद द्वारा नामित 3 व्यक्तियों की एक समिति द्वारा उसके त्यागपत्र को अनुमोदित करने के अधीन बीमा विपणन फर्म का आईएसपी नहीं रहा हो।
- (ग) प्राधिकरण बीमा परिषदों को राज्यों का आबंटन करेगा तथा उक्त परिषदों के द्वारा समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण : प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था/बैंक ऐसी संस्था/बैंक होगा जिसके साथ प्राधिकरण ने परिभाषित मानदंडों के आधार पर एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) कर लिया हो।

28. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार :

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थ लगाने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

29. सामान्य :

29.1 इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से कोई भी व्यक्ति बीमा विपणन फर्म के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको एक रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया गया हो।

29.2 किसी बीमा विपणन फर्म तथा किसी बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा विपणन फर्म के रूप में उसके कार्यचालन के दौरान या अन्यथा उत्पन्न होनेवाले कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति के द्वारा प्राधिकरण के पास भेजे जा सकते हैं; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उक्त शिकायत का परीक्षण कर

सकता है और यदि आवश्यक पाया जाए तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

- 29.3 बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त एफएसई द्वारा बीमे से इतर क्षेत्रों से संबंधित कार्य करने से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद संबंधित विनियमनकर्ताओं/सांविधिक निकायों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। तथापि, एफएसई/बीमा विपणन फर्म के विरुद्ध संबंधित विनियमनकर्ताओं/ सांविधिक निकायों द्वारा कोई भी कार्रवाई प्रारंभ किये जाने/ कार्रवाई करने की स्थिति में इसकी सूचना प्राधिकरण को तत्काल दी जाएगी तथा प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई का ध्यान रख सकता है और यदि ऐसी कार्रवाई के कारण बीमा विपणन फर्म के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई आवश्यक हो तो प्राधिकरण इस विषय में कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./161/15]

अनुसूची I

भाग I

बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी – पात्रता मानदंड

इस अनुसूची के भाग IV के अधीन बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी नीचे दी गई पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा करेगा :

- क) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का असोसिएट/फेलो; अथवा
- ख) भारतीय बीमांकिक संस्थान का असोसिएट/फेलो; अथवा
- ग) चार्टर्ड इन्श्योरेन्स इन्स्टीट्यूट, लंदन का असोसिएट/फेलो; अथवा
- घ) बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की स्नातकोत्तर योग्यता; अथवा
- ङ) जिस वर्ष में आवेदन किया गया है उससे पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के बीमा अनुभव सहित स्नातक; अथवा
- च) जिस वर्ष में आवेदन किया गया है उससे पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वित्तीय सेवाओं में अनुभव सहित स्नातक।

भाग II

प्रधान अधिकारी का प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण

बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए नीचे उल्लिखित रूप में अपेक्षाओं को पूरा करेगा :

- क) प्रधान अधिकारी प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पचास घंटों का बीमा विपणन फर्म प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तथा उसे प्रशिक्षण की अवधि के अंत में प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षा निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
- ख) यदि बीमा विपणन फर्म के प्रधान अधिकारी के पास निम्नलिखित कोई भी एक अर्हता है, तो वह पच्चीस घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा/करेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करेगा/करेगी :
 - (i) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का असोसिएट/फेलो; अथवा
 - (ii) भारतीय बीमांकिक संस्थान का असोसिएट/फेलो; अथवा
 - (iii) चार्टर्ड इन्श्योरेन्स इन्स्टीट्यूट, लंदन का असोसिएट/फेलो; अथवा
 - (iv) बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की स्नातकोत्तर योग्यता।
- ग) प्रधान अधिकारी के लिए लागू प्रशिक्षण पद्धति और परीक्षा प्रक्रिया इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है।

भाग-III

बीमा विपणन फर्म के प्रधान अधिकारी के लिए योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड

- क) रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करनेवाले बीमा विपणन फर्म के प्रधान अधिकारी को एक 'योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, यदि वह उन शर्तों को पूरा करता हो जिनमें निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं, परंतु जो इन मानदंडों तक ही सीमित नहीं हैं—
 - (i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
 - (ii) दोष-निरूपणों अथवा नागरिक दायित्वों का अभाव;
 - (iii) सक्षमता;
 - (iv) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र;
 - (v) कार्यकुशलता और ईमानदारी; तथा

- (vi) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम में निर्धारित किये अनुसार मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी अनर्हता का अभाव।
- ख) संबंधित किसी एक अथवा उससे अधिक विनियमों के अधीन बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए अथवा बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने अथवा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के प्रयोजन के लिए आवेदक को "योग्य और उपयुक्त नहीं" (नॉट फिट एण्ड प्रोपर) समझा जाएगा, यदि वह निम्नलिखित किसी भी मद से युक्त हो :
- (i) प्रधान अधिकारी अथवा बीमा विपणन फर्म, अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध भागीदार को नैतिक अधमता, आर्थिक अपराध, सुरक्षा संबंधी कानून अथवा धोखाधड़ी से संबद्ध किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया गया है;
- (ii) बीमा विपणन फर्म के विरुद्ध उसके समापन के लिए आदेश पारित किया गया है;
- (iii) प्रधान अधिकारी अथवा बीमा विपणन फर्म, अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक, अथवा प्रबंध भागीदार को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है;
- (iv) एक बीमा विपणन फर्म के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के आदेश को छोड़कर कोई अन्य आदेश बीमे की अपेक्षा अथवा अन्य बीमा सेवा कार्य करने से प्रधान अधिकारी अथवा बीमा विपणन फर्म, अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध भागीदार को नियंत्रित, निषिद्ध अथवा वारित करते हुए प्राधिकरण अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है तथा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है;
- (v) प्रधान अधिकारी अथवा बीमा विपणन फर्म वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है;
- (vi) कोई अन्य कारण जिसे प्राधिकरण द्वारा लिखित में दर्ज किया जाना है, जो प्राधिकरण की राय में ऐसे प्रधान अधिकारी अथवा बीमा विपणन फर्म, अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध भागीदार को बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य सिद्ध करता है।
- (ग) प्रधान अधिकारी बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए नया रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने अथवा वर्तमान रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ निर्धारित "योग्य और उपयुक्त फार्म" (फिट एण्ड प्रोपर फार्म) प्रस्तुत करेगा।

भाग IV

सामान्य पात्रता मानदंड

पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाले आवेदक को पात्र तभी समझा जाएगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा :-

- क. समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए;
- ख. आवेदक के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो;
- ग. आवेदक के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि उसने प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लंघन नहीं किया हो;
- घ. निम्नलिखित के सभी लागू उपबंधों का पालन करना चाहिए :
- (i) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किये गये नियम, विनियम, परिपत्र और दिशानिर्देश, जैसा लागू हो।
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 ।
- (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में संबद्ध व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 ।
- (iv) जहाँ भी लागू हो वहाँ सेबी, पीएफआरडीए, भारतीय रिज़र्व बैंक, डाक घर जैसे अन्य विनियामक/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये विनियम।

अनुसूची II**भाग I****आईएसपी और एफएसई के लिए प्रमाणीकरण की अपेक्षाएँ**

- क. बीमा विपणन फर्म विनियम 3(क) और 3(ग) में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा और/या वित्तीय उत्पादों का विपणन करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
- ख. बीमा विपणन फर्म को ऊपर विनिर्दिष्ट वित्तीय उत्पादों को छोड़कर किसी भी अन्य वित्तीय उत्पाद के विपणन में व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।
- ग. जीवन बीमा, साधारण बीमा, और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों का विपणन करने के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त आईएसपी के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- घ. वित्तीय उत्पादों का विपणन करने के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त एफएसई के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में संबंधित विनियमनकर्ता द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस अथवा प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- ङ. एफएसई संबंधित विनियमनकर्ताओं के विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे तथा किसी भी भूल-चूक के कृत्य के लिए जिम्मेदार और संबंधित विनियामक/सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा की जानेवाली अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे।

भाग II**आईएसपी के लिए अर्हताएँ और पात्रता मानदंड**

आईएसपी के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता होगी :

- क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता।
- ख. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बीमा विपणन फर्म प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए तथा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से बीमा विपणन फर्म परीक्षा में अर्हताप्राप्त होना चाहिए, जैसा कि नीचे भाग III में ब्योरा दिया गया है।
- ग. बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के क्षेत्र का अधिवासी होना चाहिए।

भाग III**आईएसपी का प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण**

बीमा विपणन फर्म का आईएसपी प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण की उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करेगा जैसी कि बीमा विपणन फर्म के प्रधान अधिकारी के लिए निर्धारित हैं जो अनुसूची I के भाग II में दी गई हैं।

भाग IV**एफएसई की नियुक्ति**

- क. इन विनियमों के विनियम 3(ग) में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य वित्तीय उत्पादों के विपणन के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त एफएसई के पास संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार होगा जो इस प्रकार का लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त हैं।
- ख. बीमा विपणन फर्म में अभिनियोजित एफएसई आवश्यक प्रशिक्षण, अर्हताओं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा जो निरंतर आधार पर किये जानेवाले कार्यकलाप की दिशा के लिए अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं जिससे लागू कानून, विनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, आदि का पूर्णतः अनुपालन किया जा सके।

अनुसूची-III**बीमा विपणन फर्म प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए प्रशिक्षण पद्धति****1. सामान्य :**

- (i) बीमा विपणन फर्म प्रशिक्षण सामग्री और स्व-मूल्यांकन विषय-वस्तु डाउनलोड करने योग्य डिजिटल फार्मेट में होगी तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्था द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत रखी जाएगी।
- (ii) स्व-मूल्यांकन परीक्षाएँ बहु-विकल्प मॉडलों में होंगी।

- (iii) उम्मीदवार उक्त शिक्षा प्रबंध प्रणाली वेबसाइट पर पंजीकृत होगा तथा प्रशिक्षण पूरा करेगा।
- (iv) उम्मीदवार डिजिटल प्रशिक्षण विषय-वस्तु अपने पीसी/लैपटॉप में डाउनलोड करेगा और स्वयं-शिक्षा मॉड्यूलों को पूरा करेगा।
- (v) प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में उम्मीदवार स्व-मूल्यांकन परीक्षा को पूरा करेगा। उक्त शिक्षा प्रबंध प्रणाली उम्मीदवार को प्रति दिन दो स्व-मूल्यांकन परीक्षाओं से अधिक पूरा करने की अनुमति नहीं देगी।
- (vi) प्रत्येक मॉड्यूल के लिए स्व-मूल्यांकन परीक्षा पूरी करने पर उम्मीदवार एक घंटे का प्रशिक्षण मान अर्जित करेगा।
- (vii) उम्मीदवार सभी स्वयं-शिक्षक मॉड्यूल और स्व-मूल्यांकन परीक्षाएँ ऑनलाइन पूरी करेगा ताकि जैसी स्थिति हो, 50 घंटे के प्रशिक्षण/25 घंटे के प्रशिक्षण के लिए मान अर्जित कर सके।
- (viii) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बीमा विपणन फर्म प्रशिक्षण वैसा ही होगा जैसा कि बीमा दलालों का प्रशिक्षण है तथा बीमा विपणन फर्म परीक्षा वैसी ही होगी जैसी कि बीमा दलालों की परीक्षा है। तथापि, किसी आईएसपी को दिये गये प्रशिक्षण और उत्तीर्णता प्रमाणपत्र का उपयोग किसी बीमा दलाल की ओर से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण करने के लिए नहीं किया जाएगा अथवा कोई भी बीमा दलाल बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण के प्रयोजन के लिए किसी आईएसपी को नियुक्त नहीं करेगा।

2. परीक्षाएँ और प्रमाणीकरण

- (i) उक्त ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी संस्था द्वारा समस्त भारत में व्याप्त अपने केन्द्रों पर किया जाएगा।
- (ii) उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा करने और जैसी स्थिति हो, 50 घंटे के प्रशिक्षण मान/25 घंटे के प्रशिक्षण मान का अर्जन करने पर ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पात्र होगा।
- (iii) उक्त ऑनलाइन परीक्षा की आवश्यकता परीक्षा आयोजित करनेवाले संस्थान के साथ परामर्श करने के बाद परीक्षा निकाय द्वारा तय की जाएगी।
- (iv) परीक्षा के प्रश्न उत्तरों के बहुविध विकल्पों के साथ दर्शाये जाएंगे।
- (v) उक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा पाठ्यक्रम को समाविष्ट करेगी।
- (vi) उम्मीदवार द्वारा परीक्षा कितनी बार दी जा सकती है, इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।
- (vii) उम्मीदवार परीक्षा निकाय को प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए उपयुक्त शुल्क का भुगतान करेगा।
- (viii) परिणाम परीक्षा निकाय और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाएंगे।
- (ix) जो उम्मीदवार परीक्षा में 'उत्तीर्ण' घोषित किये जाएंगे, उन्हें परीक्षा निकाय द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा; जिसे "बीमा विपणन फर्म परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र" कहा जाएगा।
- (x) परीक्षा संस्थान उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति और परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले उम्मीदवारों का डेटा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।
- (xi) प्राधिकरण आवेदक के आवेदन का संसाधन करेगा और विनियमों में निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के निर्गम के विषय में विचार करेगा।

अनुसूची IV

बीमा विपणन फर्म को नियंत्रित करनेवाले नियम

भाग - I.- बीमा विपणन फर्म को देय पारिश्रमिक

- 1) बीमा विपणन फर्म द्वारा बीमा पॉलिसियाँ अपेक्षित और प्राप्त करने के लिए सारा पारिश्रमिक बीमाकर्ता केवल संबंधित बीमा विपणन फर्म को ही करेगा, न कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को।
- 2) आईएसपी द्वारा पॉलिसियों की अपेक्षा के लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमा विपणन फर्म को देय पारिश्रमिक समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 40(1) और धारा 40(2) के अधीन समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

इसके अतिरिक्त, बीमा विपणन फर्म जीवन बीमा कंपनियों से शुल्क अथवा प्रभार केवल उनके आईएसपी की भर्ती, प्रशिक्षण और परामर्श के लिए सेवा प्रभारों के रूप में ही प्राप्त कर सकता है। ये शुल्क और प्रभार बीमा विपणन फर्म द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष के कमीशन के 50 प्रतिशत और नवीकरण कमीशन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। ऐसा कोई भुगतान साधारण/स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के मामले में नहीं किया जाएगा। बीमा विपणन फर्म को ऐसे शुल्क अथवा प्रभारों के भुगतान के संबंध में जीवन बीमा कंपनियों को फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपने उत्पादों की फाइलिंग के समय प्रारंभ में ही प्राधिकरण को प्रकटीकरण करना होगा।

- 3) बीमा विपणन फर्म विनियम 3(ख) में उल्लिखित रूप में बीमा सेवा कार्य करने हेतु शुल्क प्राप्त करने के लिए भी हकदार होगा जैसा कि बीमा विपणन फर्म और बीमा कंपनी के बीच पारस्परिक तौर पर तय किया गया हो, जो समय और प्रयास के आधार पर उचित होगा तथा इसे स्पष्ट रूप से शुल्क का समाधान किये जाने के आधार सहित प्रारंभ में किये गये करार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- 4) बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त एफएसई द्वारा की गई सेवाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से 'लागू सेवा प्रभार' संगृहीत करने के लिए भी बीमा विपणन फर्म पात्र होगा।
- 5) बीमा विपणन फर्म के पारिश्रमिक के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा खातों का निपटान मासिक आधार पर किया जाएगा।

भाग II

आईएसपी और एफएसई का पारिश्रमिक तथा आईएसपी का स्थानांतरण

- 1) आईएसपी और एफएसई का न्यूनतम नियत वेतन :
 - (i) बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक आईएसपी को एक नियत मासिक वेतन अदा किया जाएगा, जो 5,000/- रुपये से कम **नहीं** होगा अथवा वह ऐसी अन्य राशि होगी जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।
 - (ii) एफएसई को पारिश्रमिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संबंधित विनियमनकर्ताओं के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया जाएगा।
 - (iii) जिस बीमा विपणन फर्म को उपर्युक्त खंड (i) में निर्धारित शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, वह सूचना देते हुए रजिस्ट्रीकरण का निरसन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 2) बीमा एजेंटों का बीमा विपणन फर्म में स्थानांतरण :
 - (i) बीमा विपणन फर्म में कार्यरत आईएसपी के पास प्राधिकरण द्वारा आईएसपी के लिए जारी किया गया वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।
 - (ii) कोई भी वैयक्तिक एजेंट तब तक बीमा विपणन फर्म में स्थानांतरण नहीं कर सकता अथवा उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपना वर्तमान एजेंसी लाइसेंस अभ्यर्पित नहीं करता, बीमा विपणन फर्म का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता तथा इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमा विपणन फर्म परीक्षा उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त नहीं करता।
 - (iii) किसी बीमा विपणन फर्म में आईएसपी के रूप में लाइसेंसप्राप्त व्यक्ति को किसी बीमा कंपनी, बीमा विपणन फर्म अथवा बीमा दलाली फर्म में स्थानांतरण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक वह वर्तमान बीमा विपणन फर्म से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं करता।

विनियम 27(2)(ख) के उपबंधों के अधीन और उपर्युक्त खंड 2(iii) में कही गई बात पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, एनओसी जारी करने के लिए बीमा विपणन फर्म को आईएसपी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के मामले में जिसकी प्राप्ति-सूचना बीमा विपणन फर्म द्वारा विधिवत् दी गई हो, यदि ऐसा एनओसी 30 दिन के अंदर जारी नहीं किया जाता, तो यह माना जाएगा कि उक्त बीमा विपणन फर्म द्वारा आईएसपी को एनओसी जारी कर दिया गया है।

भाग III

बीमा विपणन फर्म का कार्यक्षेत्र

- (1) बीमा विपणन फर्म ऐसे बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) को नियुक्त करेगा जिनका अधिवास उस क्षेत्र में हो जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुरोध आवेदन में किया गया हो और जिसका अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा किया गया हो। तथापि, बीमा विपणन फर्म देश भर में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने अथवा उसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (2) "क्षेत्र" की परिभाषा एक जिले के रूप में दी गई है जिसके लिए बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण वैध है।

- (3) बीमा विपणन फर्म द्वारा चयनित क्षेत्र का उल्लेख प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन फार्म ए में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के समय बीमा विपणन फर्म को उसकी पसंद के किसी एक ही जिले में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
- (4) प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म को फार्म बी में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण में उक्त क्षेत्र को समाविष्ट करेगा।
- (5) बीमा विपणन फर्म रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन फार्म फाइल करते समय और अधिक क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकता है।
- (6) बीमा विपणन फर्म श्रमिक शक्ति के अभिनियोजन आदि सहित, विकल्प दिये गये क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले कार्यालयों का ब्योरा नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन फार्म में विनिर्दिष्ट करेगा। उन जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए बीमा विपणन फर्म का अलग प्रधान अधिकारी नामित होगा जहाँ वे अपने परिचालनों का विस्तार करना चाहते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रों के संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
- (7) यदि बीमा विपणन फर्म द्वारा नवीकरण के आवेदन में अतिरिक्त क्षेत्रों का विकल्प नहीं दिया गया है तो नवीकरण के संबंध में उस मूल अधिकार-क्षेत्र के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था।
- (8) बीमा विपणन फर्म रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय क्षेत्र में परिवर्तन के लिए विकल्प दे सकता है। प्राधिकरण नवीकरण आवेदन फार्म में श्रमिक शक्ति के अभिनियोजन आदि सहित, नये सिरे से विकल्प दिये गये क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले कार्यालयों का ब्योरा बीमा विपणन फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने के अधीन उक्त अनुरोध पर विचार कर सकता है।

अनुसूची V

भाग-I

आईएसपी के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्य और दायित्व

- (1) बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के बाद बीमा व्यवसाय कार्य करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ करार कर सकता है।
- (2) बीमा विपणन फर्म वेतन और प्रोत्साहन के आधार पर लाइसेंसप्राप्त आईएसपी और एफएसई को नियुक्त करेगा।
- (3) बीमा विपणन फर्म, फर्म द्वारा नियुक्त किये गये आईएसपी के साथ करार में निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर सुसंगत शर्तें और खंड शामिल करेगा
 - क. बीमा विपणन फर्म में नियुक्ति
 - ख. निर्धारित आचरण-संहिता
 - ग. विक्रय संबंधी प्रक्रियाएँ/नियम आदि
 - घ. पारिश्रमिक
 - i. आईएसपी द्वारा पॉलिसियों की अपेक्षा और प्रापण के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा आईएसपी को देय पारिश्रमिक वेतन और प्रोत्साहन के आधार पर होगा।
 - ii. ऊपर (अनुसूची IV, भाग II) विनिर्दिष्ट न्यूनतम राशि के अलावा, बीमा विपणन फर्म आईएसपी के कार्यनिष्पादन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन अदा कर सकता है, जो प्रारंभ में ही घोषित किये जाएंगे तथा उसके और बीमा विपणन फर्म के बीच नियोजन करार का भाग बनेंगे।
 - ङ. विनियम 27.2 के अंतर्गत जिस प्रकार से अनुमति दी गई है, उसे छोड़कर बीमा विपणन फर्म किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान आईएसपी को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता।
 - च. आईएसपी द्वारा नियुक्ता का कोई भी परिवर्तन बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के समय अथवा बीमा विपणन फर्म को प्रस्तुत त्यागपत्र के द्वारा होगा जो इन विनियमों के विनियम 27(2)(ख) में निर्धारित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा।
- (4) बीमा विपणन फर्म निर्धारित प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण प्राप्त करने में आईएसपी बनने के इच्छुक व्यक्तियों की सहायता करेगा।
- (5) बीमा विपणन फर्म आईएसपी की गतिविधियों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करेगा तथा आईएसपी द्वारा इन विनियमों और आचरण-संहिता के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग-II**प्राधिकरण के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्य और दायित्व****बीमा विपणन फर्म**

- क. निम्नलिखित के संबंध में तत्काल 30 दिन के अंदर लिखित रूप में प्राधिकरण को सूचित करने का वचन देगा :
- बीमा विपणन फर्म के कार्यकलापों के दायरे के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन;
 - प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आईएसपी के रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन;
 - बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त, किसी अन्य विनियमनकर्ता का रजिस्ट्रीकरण धारण करने वाले किसी एफएसई के रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन;
 - उसके संघटन (शेयरधारिता में परिवर्तन सहित), स्वामित्व, निदेशकों/साझेदारों में कोई भी परिवर्तन;
 - किसी अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा जाँच-पड़ताल।
- ख. यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा व्यवसाय की अपेक्षा के लिए जिम्मेदार आईएसपी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में सक्षम और अर्हता प्राप्त होंगे तथा उन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- ग. अपने ग्राहक के बारे में कोई भी गोपनीय सूचना, जो उसकी जानकारी में आई हो, अपने ग्राहकों की पूर्व अनुमति लिये बिना उन स्थितियों को छोड़कर प्रकट नहीं करेगा जहाँ उस समय प्रचलित किसी कानून के अनुपालन में ऐसा प्रकटीकरण करना अपेक्षित हो।
- घ. समय-समय पर यथासंशोधित, मध्यवर्तियों के लिए लागू आईआरडीए (विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 का पालन करेगा तथा बीमे के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के लिए कदम उठायेगा।
- ङ. अपने कार्यस्थल पर/कार्यालय में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अपने रजिस्ट्रीकरण का विवरण प्रदर्शित करेगा जैसे रजिस्ट्रीकरण के निर्गम की तारीख और उसकी वैधता, अनुमत व्यावसायिक कार्यकलापों की सूची, शिकायत निवारण प्रक्रिया, लोकपालों की सूची तथा अन्य प्रयोज्य संविधि के अंतर्गत अपेक्षित की जाने वाली अन्य संगत सूचना।
- च. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत लागू सभी उपबंधों का पालन करेगा।
- छ. अपने कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुसार ऐसे तरीके से करेगा कि वह प्रतिरोधक व्यवस्था अथवा विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त (फ्रैंचीज़) संस्था के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा जनहित में कार्य करेगा और अपने द्वारा नियुक्त किये गये अपने कर्मचारियों/व्यक्तियों की भूल-चूक के लिए, ऐसे कर्मचारियों/ व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में प्रत्ययी क्षमता में उत्तरदायी होगा।
- ज. विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा बनाये रखेगा।

भाग III**बीमा कंपनियों के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्य और दायित्व**

बीमा विपणन फर्म एक बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 42डी के अधीन प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के बाद बीमा व्यवसाय कार्य करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ करार कर सकता है। उक्त करार में निम्नलिखित से संबंधित शर्तें शामिल होंगी :-

- बीमा विपणन फर्म के साथ वचनबद्धता
- निर्धारित आचरण-संहिता
- विक्रय संबंधी प्रक्रियाएँ/नियम आदि
- पारिश्रमिक आधार
- न्यूनतम अवधि
- अभिलेखों का आदान-प्रदान
- उत्पाद प्रशिक्षण
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त भुगतान विधियों के माध्यम से और करार में बीमा विपणन फर्म और बीमाकर्ता के बीच पारस्परिक तौर पर सहमति-प्राप्त रूप में प्रीमियमों की वसूली।

अनुसूची VI

बीमा विपणन फर्म द्वारा ग्राहकों के परिवादों और शिकायतों पर कार्रवाई :

1. आईएसपी

- (1) ग्राहक से किसी आईएसपी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों के अनुसार की जाएगी।
- (2) दोनों बीमा विपणन फर्म और आईएसपी पर संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 का लागू होना जारी रहेगा।
- (3) भूल-चूक के लिए बीमा विपणन फर्म और आईएसपी उत्तरदायी होंगे। ऐसे आईएसपी द्वारा किये गये उल्लंघनों की स्थिति में अपने कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु बीमा विपणन फर्म और आईएसपी जिम्मेदार हैं।
- (4) जब भी अपेक्षित होगा तब प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म द्वारा की जाने वाली शिकायतों संबंधी कार्रवाई और अन्य गतिविधियों हेतु क्रियाविधि की जाँच करने के लिए बीमा विपणन फर्म की जाँच-पड़ताल का संचालन कर सकता है। ऐसी जाँच-पड़ताल के लिए प्राधिकरण किसी सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) अथवा बीमांकिक अथवा बीमे के क्षेत्र में अर्हताप्राप्त और अनुभव-प्राप्त किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास निरीक्षण प्राधिकारी के वही अधिकार होंगे जैसे कि इन विनियमों के विनियम 22 में उल्लिखित हैं।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "चार्टर्ड अकाउंटेंट" का अर्थ वही होगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में दिया गया है तथा अभिव्यक्ति 'बीमांकिक' का अर्थ वही होगा जैसा कि बीमांकिक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 2(1)(क) में दिया गया है।

2. एफएसई -

एफएसई के माध्यम से बीमा विपणन फर्म द्वारा किये गये बीमे से इतर व्यवसाय के मामले में ग्राहकों से प्राप्त परिवादों और शिकायतों संबंधी कार्रवाई करना तथा विक्रय के बाद की सेवाएँ उपलब्ध कराना संबंधित विनियामक/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तों से नियंत्रित होगा।

अनुसूची VII**भाग I****बीमा विपणन फर्म का निरीक्षण**

1. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार : प्राधिकरण स्वप्रेरणा से अपने आप अथवा सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर निम्नलिखित किसी भी कारण से बीमा विपणन फर्म से संबंधित खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में अपने एक अथवा उससे अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है :

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा विपणन फर्म द्वारा खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले तरीके से किया जा रहा है;
- (ii) बीमा विपणन फर्म के कार्यकलापों से संबंध रखने वाले किसी भी विषय पर ग्राहकों अथवा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई का निरीक्षण करने के लिए;
- (iii) यह पता लगाने के लिए कि क्या समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों का पालन बीमा विपणन फर्म द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं;
- (iv) पॉलिसीधारकों के हित में बीमा विपणन फर्म के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए।

2. निरीक्षण से पहले सूचना.

- (i) विनियम 22 के अंतर्गत निरीक्षण का आदेश देने से पहले प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म को कम से कम दस दिन की सूचना देगा।
- (ii) खंड (i) में किसी बात के होने के बावजूद जहाँ प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ वह आदेश द्वारा लिखित रूप में निदेश दे सकता है कि बीमा विपणन फर्म के कार्यों का निरीक्षण ऐसी किसी सूचना के बिना किया जाए।

3. निरीक्षण के बाद बीमा विपणन फर्म का दायित्व.

- (i) प्रत्येक बीमा विपणन फर्म जिसके संबंध में विनियम 22 के अधीन निरीक्षण का आदेश दिया गया है तथा बीमा विपणन फर्म के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सहित किसी अन्य सहबद्ध व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे बीमा विपणन फर्म के संचालन और कार्यों से संबंधित संगत सूचना मौजूद हो, का कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में विद्यमान ऐसी खाता-बहियाँ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा ऐसे विवरण और सूचना उपलब्ध कराए जैसी कि निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा कर सकता है।
- (ii) प्रत्येक बीमा विपणन फर्म तथा किसी अन्य सहबद्ध व्यक्ति जिसके कब्जे में बीमा विपणन फर्म के संचालन और कार्यों से संबंधित संगत सूचना विद्यमान है, का कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए और ऐसा समस्त सहयोग प्रदान करे जैसा कि निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो तथा वह ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी कि निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माँगी जाती है।
- (iii) निरीक्षण प्राधिकारी के पास निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रधान अधिकारी, किन्हीं भी कर्मचारियों, निदेशकों, भागीदारों अथवा बीमा विपणन फर्म के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी अथवा उनसे संबद्ध व्यक्ति अथवा ऐसे बीमा विपणन फर्म से संबंधित संगत सूचना रखने वाले किसी भी अन्य सहबद्ध व्यक्ति के वक्तव्य का शपथ के आधार पर परीक्षण और अभिलेखन करने का अधिकार होगा।
- (iv) निरीक्षण प्राधिकारी के पास निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए बीमा विपणन फर्म के कार्यकलापों के संबंध में दस्तावेजों, खाता-बहियों आदि की अधिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे दस्तावेजों का नियंत्रण अथवा अभिरक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति

निरीक्षण प्राधिकारी यथाशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में निरीक्षण की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिया जाता है तो निरीक्षण प्राधिकारी एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

5. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई

प्राधिकरण निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा बीमा विपणन फर्म को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह पॉलिसीधारकों के हित में उचित समझे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) बीमा विपणन फर्म से अपेक्षा करना कि वह शुल्क, प्रभारों अथवा कमीशनों के रूप में अथवा अन्यथा वसूल की गई धनराशि संबंधित ग्राहकों को आवश्यक ब्याज के साथ लौटा दे।
- (ii) बीमा विपणन फर्म को एक त्रिनिर्दिष्ट अवधि के लिए बीमा बाजार में परिचालन करने से प्रतिबंधित करना।
- (iii) कोई अन्य कार्रवाई जो प्राधिकरण उपयुक्त समझे।

भाग II

बीमा विपणन फर्म की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की नियुक्ति

1. प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म की खाता-बहियों अथवा कार्यों की लेखा-परीक्षा करने के लिए एक योग्य लेखा-परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है :

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त किये गये लेखा-परीक्षक के पास निरीक्षण प्राधिकारी के वही अधिकार होंगे जिनका उल्लेख इस अनुसूची के भाग I में किया गया है।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'योग्य लेखा-परीक्षक' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 से प्राप्त अर्थ होगा।

(2) खंड (1) के अंतर्गत ऐसी लेखा-परीक्षा का व्यय बीमा विपणन फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

2. लेखा-परीक्षक द्वारा प्राधिकरण को रिपोर्ट की प्रस्तुति - लेखा-परीक्षक यथाशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में लेखा-परीक्षा की समाप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

वशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार करने का निदेश दिया जाता है तो लेखा-परीक्षक एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

3. **प्राधिकरण द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर कार्रवाई** – लेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची VII, भाग-I के खंड (5) के अंतर्गत परिभाषित है।

अनुसूची VIII

बीमा विपणन फर्म और आईएसपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रक्रिया

भाग I

सूचना के साथ बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण का निरसन

प्राधिकरण निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक कारणों से बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित अथवा निरस्त कर सकता है :

- (i) रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से ग्रस्त है;
- (ii) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, नोटिसों, परिपत्रों का उल्लंघन करता है, जैसे :
 - क. एक बीमा विपणन फर्म के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्राधिकरण की अपेक्षानुसार प्रस्तुत नहीं करता;
 - ख. गलत अथवा झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है; अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या प्रकट नहीं करता;
 - ग. किसी भी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारी अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को नकद या वस्तु रूप में छूट अथवा प्रलोभन देने में लिप्त है;
 - घ. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता;
 - ङ. जिन शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, उनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं करता;
 - च. आईएसपी के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं करता;
 - छ. प्राधिकरण के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं करता;
 - ज. बीमा कंपनियों के प्रति बीमा विपणन फर्म के कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं करता;
- (iii) अप्रामाणिक कॉलों और अपविक्रय का सहारा लेता है;
- (iv) ऐसे तरीके से कार्य करता है जो पॉलिसीधारकों के हित के विरुद्ध अथवा जनहित के विरुद्ध है।

भाग II

फर्म के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

1. प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म को एक कारण बताओ नोटिस उक्त फर्म से यह अपेक्षा करते हुए जारी करेगा कि वह उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर कारण दर्शाए कि उक्त कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित उल्लंघनों के लिए बीमा विपणन फर्म को प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण को क्यों नहीं निलंबित अथवा निरस्त किया जाना चाहिए अथवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
2. बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण द्वारा जारी की गई नोटिस के लिए अपना उत्तर प्राधिकरण को नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत करेगा।
3. उक्त उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म को प्रदान किये गये रजिस्ट्रीकरण के निलंबन अथवा निरसन का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा मामले के तथ्यों के आधार पर उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश पारित करेगा।
4. प्राधिकरण उक्त निर्णय की सूचना बीमा विपणन फर्म को ऐसा निर्णय लेने की तारीख से तीस दिन के अंदर देगा तथा उसमें वे कारण बताएगा जिनके आधार पर निर्णय लिया गया है।
5. प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट बीमा विपणन फर्म ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

6. प्राधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार के आवेदन पर विचार करेगा तथा उस पर अपना निर्णय आवेदक को पुनर्विचार के लिए उसके आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन के अंदर लिखित रूप में सूचित करेगा।
7. अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक उपर्युक्त खंड (6) के अधीन दिये गये आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर एक अपील प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को ऐसी अपील करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है ताकि वह जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उससे सहमत होते हुए, उसे संशोधित करते हुए अथवा उसे खारिज करते हुए उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित करे जो वह उपयुक्त समझे।
8. यदि प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण उपर्युक्त खंड (7) के अंतर्गत की गई अपील पर विचार के बाद उक्त अपील को अस्वीकृत करता है, तो आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए नया आवेदन अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

भाग III

सूचना के बिना बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण का निरसन

बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण सूचना के बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने लिखित रूप में निरसन के लिए कारण सूचित कर दिये हों :

- (i) यदि वह धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, अथवा आपराधिक दोष के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाता है;
- (ii) ऐसी चूकें करता है जिसके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है;

इस विनियम के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपर्युक्त भाग II के खंड (4), (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

भाग IV

सूचना के साथ आईएसपी के प्रमाणपत्र का निरसन अथवा निलंबन

- (i) आईएसपी का प्रमाणपत्र उचित सूचना देने के बाद और अपनी बात कहने के लिए उसको एक उचित अवसर देने के बाद निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि आईएसपी कदाचार का दोषी पाया जाता है अथवा उसका आचरण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता के अनुसार नहीं है, अथवा वह इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता।
- (ii) आईएसपी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपर्युक्त भाग II में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगी जैसी कि बीमा विपणन फर्म के लिए लागू है।

भाग V

सूचना के बिना आईएसपी के प्रमाण-पत्र का निरसन अथवा निलंबन

- (i) आईएसपी का प्रमाण-पत्र सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि वह धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है अथवा आपराधिक दोष के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, अथवा ऐसी चूकें करता है जिसके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरसन के लिए कारण लिखित रूप में सूचित कर दिये हों।
- (ii) फर्म के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपर्युक्त भाग III में विनिर्दिष्ट है जैसी कि बीमा विपणन फर्म के लिए लागू है।

भाग VI

बीमा विपणन फर्म को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के निलंबन अथवा निरसन का प्रभाव

- (i) कोई भी बीमा विपणन फर्म अथवा आईएसपी, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया गया है, इन विनियमों के अंतर्गत सूचना की प्राप्ति की तारीख को और उस तारीख से बीमा विपणन फर्म अथवा आईएसपी के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा तथा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करना बंद करेगा।
- (ii) बीमा विपणन फर्म अथवा आईएसपी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन अथवा निरसन की तारीख को और उस तारीख से उक्त बीमा विपणन फर्म अथवा आईएसपी :

- (क) इस प्रकार के वर्जन अथवा निलंबन की अवधि के दौरान बीमा व्यवसाय से संबंधित कोई भी नया कार्य अथवा संविदा नहीं करेगा अथवा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा अथवा उसे प्राप्त नहीं करेगा;
- (ख) किन्हीं भी अभिलेखों अथवा दस्तावेजों तथा पॉलिसीधारकों की पॉलिसियों अथवा धनराशि से संबंधित कार्रवाई सहित प्राधिकरण के निदेशों तथा इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अनुसार ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा;
- (ग) इस प्रकार निरस्त किया गया रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को लौटा देगा तथा जिस कार्य के लिए इस प्रकार का रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था वह कार्य संपन्न करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के धारक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा;
- (घ) अपने द्वारा व्यय की गई अथवा स्वीकृत देयता के संबंध में प्रावधान करेगा;
- (ङ) ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में रखे जानेवाले किन्हीं भी अभिलेखों अथवा दस्तावेजों तथा पॉलिसीधारकों की पॉलिसियों की पुनःप्राप्ति अथवा अभिग्रहण से संबंधित कार्रवाई सहित ऐसी अन्य कार्रवाई संबंधित विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में अथवा इस अध्याय के अधीन आदेश पारित करते समय प्राधिकरण द्वारा दिये जानेवाले निदेश के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर और निर्धारित तरीके से करेगा;
- (च) इन विनियमों के विनियम 12.3 में विनिर्दिष्ट रूप में कार्रवाई करेगा।

अनुसूची IX

आईएसपी और एफएसई की आचरण-संहिता

वैधा प्रमाणपत्र धारण करनेवाला प्रत्येक आईएसपी नीचे विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का पालन करेगा :

(i) प्रत्येक आईएसपी -

- (क) स्वयं की एवं जिस बीमा विपणन फर्म का वह आईएसपी है उसकी अनन्यता और अभिन्नता प्रमाणित करेगा;
- (ख) माँग पर भावी ग्राहक को प्रमाणपत्र का विवरण प्रकट करेगा;
- (ग) प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसार करेगा; तथा किसी बीमा उत्पाद की सिफारिश करते समय भावी ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा;
- (घ) ग्राहकों के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण करेगा;
- (ङ) उन बीमाकर्ताओं के उत्पादों की तुलना करेगा जिनके साथ उनकी व्यवस्था है;
- (च) ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पाद की सिफारिश करेगा;
- (छ) प्रस्तावित बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित किया जानेवाला प्रीमियम सूचित करेगा;
- (ज) यदि भावी ग्राहक द्वारा माँगा जाए, तो प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में पारिश्रमिक के मान प्रकट करेगा;
- (झ) बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव फार्म में अपेक्षित सूचना का स्वरूप तथा बीमा संविदा की खरीद में महत्वपूर्ण सूचना के प्रकटीकरण का महत्व भी भावी ग्राहक को समझाएगा;
- (ञ) भावी ग्राहक के बारे में सभी तरह की उचित पूछताछ करने के द्वारा बीमाकर्ता को प्रस्तुत किये जानेवाले प्रत्येक प्रस्ताव के साथ एक रिपोर्ट (जो "बीमा गोपनीय रिपोर्ट" कहलाती है) के रूप में संभावित ग्राहक की किसी भी प्रतिकूल आदत अथवा आय की असंगति, तथा प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में बीमाकर्ता के जोखिम-अंकन निर्णय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करनेवाला कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य बीमाकर्ता की जानकारी में लाएगा;
- (ट) बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में संभावित ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;
- (ठ) बीमाकर्ता के पास प्रस्ताव फार्म को फाइल करते समय आवश्यक दस्तावेज तथा प्रस्ताव को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बाद में माँगे जानेवाले अन्य दस्तावेज प्राप्त करेगा;
- (ड) बीमाकर्ता द्वारा दावों के निपटान के लिए अपेक्षाएँ पूरी करने में पॉलिसीधारकों अथवा दावेदारों अथवा लाभार्थियों की आवश्यक सहायता करेगा;
- (ढ) प्रत्येक वैयक्तिक पॉलिसीधारक को, जैसी स्थिति हो, नामांकन अथवा समनुदेशन अथवा पते में परिवर्तन अथवा विकल्पों का प्रयोग करने में परामर्श देगा तथा जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ उनकी आवश्यक सहायता करेगा;
- (ण) किसी दावे अथवा किसी घटना के संबंध में ग्राहक से प्राप्त कोई भी सूचना जो दावा उत्पन्न कर सकता है, अविलंब आगे प्रेषित करेगा;

- (त) दावे के विषय में बीमाकर्ता के निर्णय अथवा अन्यथा स्थिति से ग्राहक को अविलंब अवगत कराएगा; तथा ग्राहक को उसके दावे के संबंध में अनुसरण करने में हर प्रकार से उचित सहायता उपलब्ध कराएगा;
- (थ) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को पॉलिसियों के संबंध में किये गये वक्तव्य भ्रामक अथवा अतिरंजित न हों;
- (द) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 64-वीबी(4) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
- (ध) ग्राहक का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 41 की ओर आकर्षित करेगा, जिसके अनुसार छूट तथा कमीशन/पारिश्रमिक का अंश प्राप्त करना निषिद्ध है;
- (न) एएमएल और केवाईसी संबंधी प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा;
- प) अपने ग्राहकों के प्रति प्रत्ययी क्षमता में कार्य करेगा तथा हितों के संघर्ष जब भी उत्पन्न होंगे तब उन्हें प्रकट करेगा;
- फ) व्यावसायिक आचरण के मान्यताप्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा और पॉलिसीधारकों के हित में अपने कार्यों को संपन्न करेगा तथा समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, 1999, आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 एवं समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी अन्य विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निदेशों के उपबंधों का पालन करेगा।

(ii) कोई भी आईएसपी नीचे निर्दिष्ट रूप में कार्य नहीं करेगा—

- (क) वैध प्रमाणपत्र धारण किये बिना बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण नहीं करेगा;
- (ख) प्रस्तावित फार्म में कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छोड़ने के लिए भावी ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा;
- (ग) प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए बीमाकर्ता को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म अथवा दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए संभावित ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा;
- (घ) भावी ग्राहक के साथ अशिष्ट तरीके से व्यवहार नहीं करेगा;
- (ङ) किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रस्ताव के विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा;
- (च) अपने बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों और शर्तों को छोड़कर भिन्न प्रकार की दरें, लाभ, और शर्तें प्रस्तावित नहीं करेगा;
- (छ) किसी भी बीमा संविदा के अंतर्गत लाभार्थी से आगम राशि का अंश नहीं माँगेगा अथवा प्राप्त करेगा;
- (ज) वर्तमान पॉलिसी को समाप्त करने तथा ऐसी समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष के अंदर अपने माध्यम से नया प्रस्ताव करने के लिए किसी भी पॉलिसीधारक को बाध्य नहीं करेगा;
- (iii) प्रत्येक आईएसपी अपने माध्यम से प्राप्त किये जा चुके बीमा व्यवसाय को संरक्षित रखने की दृष्टि से पॉलिसीधारक को मौखिक और लिखित रूप में सूचना देने के द्वारा, निर्धारित समय के अंदर पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियमों का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
- (iv) **एफएसई** : प्रत्येक एफएसई उस विशिष्ट कार्यकलाप का पर्यवेक्षण करनेवाले संबंधित विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई आचरण-संहिता का पालन करेगा।
- (v) **आईएसपी द्वारा आचरण-संहिता का उल्लंघन** : ऊपर विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का आईएसपी द्वारा पालन किया जाना चाहिए। प्राधिकरण किसी भी प्रकार से इसका अनुपालन न करने के लिए आईएसपी और बीमा विपणन फर्म जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

अनुसूची X

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे का अनुरक्षण

1. उक्त बीमा रक्षा अनिवार्यतः निम्नलिखित के विरुद्ध बीमा विपणन फर्म की क्षतिपूर्ति करेगी :
- क. उनकी ओर से अथवा उनके कर्मचारियों (आईएसपी, एफएसई सहित) और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा उपेक्षा;
- ख. किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप धनराशि अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए बीमा विपणन फर्म कानूनी तौर पर जिम्मेदार है;
- ग. दस्तावेजों की कोई भी हानि तथा ऐसे दस्तावेजों को प्रतिस्थापित अथवा पुनःस्थापित करने में लागतें और किये गये व्यय;
- घ. बीमा विपणन फर्म के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा किये गये बेईमान अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें।

2. उक्त क्षतिपूर्ति की रक्षा :
 - क. लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;
 - ख. उसमें इस आशय की कोई शर्तें निहित नहीं होंगी कि दावों के भुगतान देयता को पहले बीमा विपणन फर्म द्वारा पूरा किये जाने पर निर्भर होंगे;
 - ग. बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में इस बात का विचार किये बिना क्षतिपूर्ति करेगी कि दावे को उत्पन्न करनेवाली घटना किस समय घटित हुई है :
बशर्ते कि उपर्युक्त अपेक्षाओं के लिए पूर्णतः अनुरूप न होनेवाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा की अनुमति प्राधिकरण द्वारा विशेष मामलों में उन कारणों से दी जाएगी जिन्हें उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
3. प्रत्येक दावे के संबंध में अवीमाकृत आधिक्य व्यवसाय में बीमा विपणन फर्म द्वारा लगाई गई पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
4. बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो :
 - क. बीमा विपणन फर्म को एक वार्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा जिसमें बीमा विपणन फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित नाम और पता, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता का नाम इस साक्ष्य के रूप में निहित होंगे कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है;
 - ख. बीमा विपणन फर्म को प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) प्रमाणपत्र प्रेषित करेगा; तथा
 - ग. मध्यावधि में रक्षा के अमान्यकरण, अ-नवीकरण अथवा निरसन की किसी भी स्थिति की सूचना तत्काल बीमा विपणन फर्म को देगा।
5. प्रत्येक बीमा विपणन फर्म -
 - क. यदि कोई रक्षा निरस्त अथवा अमान्यकृत की गई हो अथवा यदि किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो इसकी सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा;
 - ख. उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे की सूचना लिखित रूप में बीमाकर्ता को देगा;
 - ग. पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न करनेवाली सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा; तथा
 - घ. यदि किसी बीमाकर्ता ने सूचित कर दिया हो कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति से इनकार करना चाहता है, तो प्राधिकरण को शीघ्र इसकी जानकारी देगा।

फार्म ए

[विनियम 4 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015

बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

आवेदक का नाम :

पंजीकृत कार्यालय का पता :

.....

.....

पत्रादि के लिए पता :

.....

टेलीफोन सं.

मोबाइल सं.

फैक्स सं.

ई-मेल

वेबसाइट

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए ।

यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो ।

आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें ।

जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए ।

आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 पता – व्यवसाय का प्रधान स्थान/पंजीकृत कार्यालय :

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन सं.	फैक्स सं.

1.3 पत्राचार के लिए पता

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन सं.	फैक्स सं.

** (शाखा कार्यालयों के पतों की सूची, यदि कोई हो, संलग्न करें)

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम :

1.5 कार्यक्षेत्र (विनियम 19 देखें)

जिला	राज्य

1.6 आवेदक द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलाप :

क्रम सं.	कार्यकलापों का विवरण	जहाँ लागू हो वहाँ 'टिक' लगाएँ
1.	बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्यकलाप करना जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग कार्यकलापों संबंधी दिशानिर्देशों में अनुमत है	
2.	बीमा रिपोज़िटरियों का अनुमोदित व्यक्ति बनना	
3.	लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों व हानि निर्धारकों को अपने स्टाफ में नियुक्त करने के द्वारा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण करना	

1.7 आवेदक द्वारा विपणन के लिए प्रस्तावित अन्य वित्तीय उत्पाद

क्रम सं.	उत्पादों का विवरण	जहाँ लागू हो वहाँ 'टिक' लगाएँ
1.	सेबी द्वारा विनियमित म्युचुअल फंड कंपनियों के म्युचुअल फंड	
2.	पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन उत्पाद	
3.	सेबी से लाइसेंसप्राप्त निवेश सलाहकारों द्वारा वितरित अन्य वित्तीय उत्पाद	
4.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों/एनबीएफसी के बैंकिंग/वित्तीय उत्पाद	
5.	डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बीमे से इतर उत्पाद	

2. संगठन – संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति :

(उदा. लिमिटेड कंपनी – निजी/सरकारी, एलएलपी/सहकारी समिति। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

आवेदक की श्रेणी	पंजीकरण का विवरण	निगमन की तारीख दिन_माह_वर्ष	निगमन का स्थान	शेयर बाजारों के नाम (यदि सूचीबद्ध कंपनी हो)

2.2 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं)

दिनांक..... को शेयरधारिता				
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूंजी का प्रतिशत (%)	क्या किसी शेयरधारक के पास किसी अन्य विनियामक निकाय/सरकार द्वारा जारी लाइसेंस है अथवा आईआरडीए सहित किसी विनियामक निकाय/ सरकार से लाइसेंसप्राप्त संस्था में उसकी कोई शेयरधारिता है। यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें	

2.3 सभी निदेशकों/साझेदारों का विवरण

नाम	पदनाम/स्थिति	योग्यता	आवेदक संस्था में शेयरधारिता	अन्य कंपनियों में निदेशन

2.4 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/शेयरधारक/निदेशक के हित का स्वरूप

2.5 आवेदक के प्रधान बैंकरों का नाम और पता

(बीमा विपणन फर्म और उनके अधीन कार्य करनेवाले आईएसपी उन बैंकरों के पास खाता खोलें जिन्होंने निगरानी के लिए नियमित आधार पर बीमा विपणन फर्म द्वारा आईएसपी को किये गये भुगतानों से संबंधित सूचना देने के लिए प्राधिकरण के साथ करार किया है)

2.6 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 जिन कार्यकलापों के लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा की गई है, उनकी अनुमानित मात्रा और आय के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना के दस्तावेज का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3.2 कार्यात्मक दायित्वों को अलग से दर्शानेवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए।

3.3 आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमशक्ति जैसी मूलभूत संरचना का विवरण

3.4 उन बीमा कंपनियों के नाम जिनके साथ कार्य करने का प्रस्ताव आवेदक करता है

(संबंधित बीमा कंपनियों से प्राप्त सहमति-पत्र प्रस्तुत किये जाएँ)

3.5 आवेदक द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप के लिए संगत समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना

4. वित्तीय सूचना :-

निवल मालियत (नेट वर्थ)

टिप्पणी : विनियम के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरणों के साथ आवेदक की नेट वर्थ के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

5. अन्य सूचना

5.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण **

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटारा गया

**यदि आवश्यक हो तो पत्रक (शीट) संलग्न करें

5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी निदेशक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका ब्योरा।

5.3 योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड की घोषणा (अनुबंध 1 के अनुसार)

6. संलग्न दस्तावेज (अनुबंध 2 के अनुसार)**7. शुल्क का भुगतान :**

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.: दिनांक :

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

टिप्पणी : भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट रु. (और सेवा कर) का वापस न करने योग्य शुल्क

8.: वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में प्राधिकरण द्वारा कोई रजिस्ट्रीकरण/लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है।

व्यक्ति का नाम	आवेदक के साथ संबंध	तारीख और अस्वीकृति का कारण

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

8.2 आवेदक के प्रधान अधिकारी के बारे में विवरण

पूरा नाम		श्री/श्रीमती			
		उल्लेख करें			
पता					
जन्म-तिथि		फोन सं.			
राष्ट्रीयता		सेल सं.			
संगठन में स्थिति		फैक्स सं.			
वर्तमान स्थिति कब से धारित		ई-मेल आईडी			
कर्तव्यों/दायित्वों का विवरण					
योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ					
शैक्षिक योग्यता					
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन का वर्ष		
व्यावसायिक योग्यता					
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन का वर्ष		
कार्य का अनुभव					
नियोक्ता का नाम	व्यवसाय का स्वरूप		पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

8.3 बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार प्रस्तावित बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) की सूची

नाम	पता	योग्यता (बी.वि.फ. परीक्षा की उत्तीर्णता के विवरण सहित, प्रमाणपत्र की संख्या विनिर्दिष्ट करें)	पैन संख्या अथवा आधार संख्या	पिछला रोजगार, बीमा एजेंट के मामले में बीमाकर्ता का नाम और लाइसेंस सं. विनिर्दिष्ट करें)	बैंक खाता सं., बैंक का नाम और शाखा

8.4 बीमा सेवा कार्य करने के लिए जिम्मेदार प्रस्तावित कर्मचारियों की सूची

नाम	पता	योग्यता	पैन सं. अथवा आधार सं. पता	पिछला रोजगार, बीमा सर्वेक्षक के मामले में विनिर्दिष्ट करें, लाइसेंस संख्या लिखें	बैंक खाता सं., बैंक का नाम और शाखा

8.5 अन्य वित्तीय उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार प्रस्तावित वित्तीय सेवा कार्यपालकों (एफएसई) की सूची

नाम	पता	योग्यता	पैन सं. अथवा आधार सं. पता	सांविधिक/विनियामक/सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ लाइसेंस का विवरण	बैंक खाता सं., बैंक का नाम और शाखा

घोषणा

(इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों अथवा दो साझेदारों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं)

मैं/हम इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

मैंने/हमने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि—

- मैं/हम बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं।
- मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूंगा/दूंगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय अन्यत्र रखी गई छह महीने की सीमा के अधीन, बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूंगा/करूंगी/करेंगे।
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 42 के अधीन बीमा एजेंट का लाइसेंस नहीं है।

के लिए और उनकी ओर से

नाम
पदनाम

नाम
पदनाम

अनुबंध-1

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/प्रबंध भागीदारों के लिए घोषणा और वचन-पत्र

(प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)

क्रम सं.	योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)
क)	क्या आपने कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिज़र्व बैंक, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, एफएमसी जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण से पंजीकरण कराया है अथवा लाइसेंस प्राप्त किया है	
ख)	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अलावा किसी अन्य नाम से कारोबार किया है	

ग)	क्या आपको कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके लिए कानून के अंतर्गत विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य प्राधिकार अपेक्षित है, करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी अस्वीकृत अथवा प्रतिबंधित किया गया है	
घ)	क्या कभी आपको कोई व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निंदित अथवा अनुशासित अथवा निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस या पंजीकरण देने से इनकार किया गया है	
ङ)	क्या आप कभी किसी जाँच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई चेतावनी या फटकार दी गई है	
च)	क्या कभी आपको किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी कार्यवाही के अधीन रहे हैं	
छ)	क्या कभी आपको किसी भी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है	
ज)	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित, प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
झ)	आपके विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
ञ)	क्या आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त हैं?	
ट)	क्या आप सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आदेश पर किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
ठ)	क्या कभी आप सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाये गये हैं	
ड)	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीएआई, एमसीए, पीएफआरडीए जैसे विनियमनकर्ता की सूचना में प्रतिकूल रूप से आये हैं (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस स्तंभ में विनियमनकर्ताओं द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों अथवा निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया हो/रद्द किया गया हो, तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इस प्रकार उलट देना/रद्द करना गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की परिसीमा अथवा उसके अभाव जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो। यदि विनियमनकर्ता का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया हो अथवा अपीलीय/अदालती कार्यवाही अनिर्णीत हो, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)	
ढ)	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है	
ण)	योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड का निर्णय करने के लिए सुसंगत समझा गया कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी	

वचन-पत्र

मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद घटित होने वाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र प्राधिकरण को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित हों।

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-2

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015
नया बीमा विपणन फर्म रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए प्रलेखीकरण
[विनियम 4 और फार्म ए का बिंदु 6 देखें]**

क. पूर्ण आवेदनपत्र की प्रस्तुति।

- क) फार्म ए में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।
- ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अंतर्गत निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा आवश्यक शुल्क का प्रेषण।
- ग) आवेदक के चार्टर संबंधी दस्तावेजों की प्रस्तुति (संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम/उप-नियम, जैसी स्थिति हो)
- घ) प्रधान अधिकारी, निदेशकों और प्रबंध भागीदारों से प्राप्त योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड की घोषणा 'योग्यता और उपयुक्तता फार्म' में (प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग) दी जानी चाहिए।
- ङ) मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे पंजीकृत कार्यालय तथा विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालयों के लिए स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/ पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ मूलभूत संरचना का विवरण।
- च) अगले 3 वर्ष के लिए प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्यय, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि खाते के पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानित तुलन-पत्र।
- छ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जोखिम निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, लेखे, बैंक ऑफिस आदि जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूरा चित्र देते हुए संगठन का चार्ट।
- ज) ऐसी किसी अन्य सूचना को अभिलिखित करें जो बीमा व्यवसाय के विकास और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित हो।
- झ) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

- क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मेटों पर दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- ख) दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं।

अतिरिक्त दस्तावेजों की अपेक्षा शेषरधारिता के स्वरूप, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य विषय के आधार पर की जा सकती है।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन के संबंध में व्यवसाय की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

फार्म बी

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015**

[विनियम 10 देखें]**रजिस्ट्रीकरण**

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वाराको उपर्युक्त अधिनियम के अधीन

के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है।

उक्त बीमा विपणन फर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण कूट.....है।

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी

जिला	राज्य

2. कार्यकलापों का विस्तार

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं
बीमा संबंधी सेवा कार्य	
क) बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्य करना	क) हाँ/नहीं
ख) बीमा रिपोर्टरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति बनना	ख) हाँ/नहीं
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	ग) हाँ/नहीं
अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण	हाँ/नहीं

3. यह रजिस्ट्रीकरण से तक वैध होगा।
4. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015
फार्म डी

[विनियम 14 देखें]

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या :

1. समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम, तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन मेसर्स

..... का रजिस्ट्रीकरण..... से..... तक की अवधि के लिए नवीकृत करता है।

2. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी

राजस्व जिला	राज्य

3. कार्यकलापों का विस्तार

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं
बीमा संबंधी सेवा कार्य	
क) बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्य करना	क) हाँ/नहीं
ख) बीमा रिपोज़िटरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति बनना	ख) हाँ/नहीं
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	ग) हाँ/नहीं
अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण	हाँ/नहीं

4. हैदराबाद में.....दिन.....दो हजार.....को जारी किया गया।

5. यह रजिस्ट्रीकरण से तक वैध होगा।

6. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015
फार्म सी
[विनियम 17 देखें]
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट)

रजिस्ट्रीकरण संख्या :

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन.....को बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है।

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी

जिला	राज्य

2. कार्यकलापों का विस्तार

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं
बीमा संबंधी सेवा कार्य	
क) बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्य करना	क) हाँ/नहीं
ख) बीमा रिपोज़िटरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति बनना	ख) हाँ/नहीं
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	ग) हाँ/नहीं
अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण	हाँ/नहीं

3. उक्त बीमा विपणन फर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण कूट.....है।
4. यह रजिस्ट्रीकरणसे.....तक विधिमान्य होगा।
5. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन के अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन

मैं आपको सूचित करते हुए स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मेरा/हमारा रजिस्ट्रीकरण संख्या
..... खो गया है

1. नष्ट किया गया है

2. कटा-फटा है

जोकि निम्नलिखित कारणों से हुआ है.....

शुल्क का भुगतान :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये का शुल्क अदा करने की आवश्यकता होगी।

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम :
.....

भुगतान के अन्य प्रकार :

घोषणा

मैं इसके द्वारा विनियम 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ। अतः हम प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करें।

मैंसत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

के लिए और उनकी ओर से

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

फार्म एए

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015

[विनियम 14 देखें]

**बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन
आवेदक का विवरण**

1.1 आवेदक का नाम

1.2 पता - व्यवसाय का प्रधान स्थान/पंजीकृत कार्यालय :

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.3 पत्र-व्यवहार के लिए पता :

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

**(यदि कोई शाखा कार्यालय हों, तो उनके पत्तों की सूची संलग्न करें)

1.4 कार्यक्षेत्र (विनियम 19 देखें)

जिला	राज्य	अनुमोदित/प्रस्तावित	प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

2. संगठन - संरचना**2.1 आवेदक की स्थिति :**

(उदा. लिमिटेड कंपनी - निजी/सरकारी, एलएलपी/सहकारी समिति। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

आवेदक की श्रेणी	पंजीकरण का विवरण	संस्थापन की तारीख दिन_माह_वर्ष	संस्थापन का स्थान	शेयर बाजारों के नाम (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में)

- 2.2 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं)

दिनांक.....को शेयरधारिता		
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी का प्रतिशत (%)

- 2.3 सभी निदेशकों/साझेदारों का विवरण :-

नाम	पदनाम/स्थिति	योग्यता	आवेदक कंपनी में शेयरधारिता	अन्य कंपनियों में निदेशन

- 2.4 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों/ संस्थाओं के एक अथवा उससे अधिक निदेशकों/ शेयरधारकों का हित आवेदक के व्यवसाय में निहित है।

- 2.5 आवेदक के प्रधान बैंकों का नाम और पता (भारतीय स्टेट बैंक)

- 2.6 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

आवेदक के पास उपलब्ध मूलभूत संरचना जैसे कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमिक शक्ति का विवरण (अतिरिक्त कार्यक्षेत्रों के मामले में)।

4. वित्तीय सूचना :-

निवल मालियत (नेट वर्थ)

टिप्पणी : पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए प्रमाणित वित्तीय विवरणों के साथ आवेदक की नेट वर्थ को प्रमाणित करनेवाला सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र संलग्न करें।

5. अन्य जानकारी, यदि कोई हो

- 5.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण**

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटारा गया

**यदि आवश्यक हो तो पत्रक (शीट) संलग्न करें

- 5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी निदेशक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका ब्योरा।

- 5.3 योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड की घोषणा (अनुबंध 1 के अनुसार)

6. संलग्न दस्तावेज (अनुबंध 1 के अनुसार) :

7. शुल्क का भुगतान :

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.: दिनांक :

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

टिप्पणी : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 14 में यथाविनिर्दिष्ट रु. का वापस न करने योग्य शुल्क (और सेवा कर)।

8. वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्ति का नाम	आवेदक के साथ संबंध	अस्वीकृति का दिनांक और कारण

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

8.2 आवेदक के प्रधान अधिकारी की योग्यता और अनुभव का विवरण

प्रधान अधिकारी का विवरण			
पूरा नाम	उल्लेख करें श्री/श्रीमती		
पता			
जन्मतिथि	फोन सं.		
राष्ट्रीयता	सेल सं.		
संगठन में स्थिति	फैक्स सं.		
वर्तमान स्थिति में कब से हैं	ई-मेल आईडी		
कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण			
योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ			
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन का वर्ष
व्यावसायिक योग्यता			
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन का वर्ष
कार्य करने का अनुभव			

नियोक्ता का नाम	व्यवसाय का स्वरूप		पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

8.3 उन कर्मचारियों की सूची जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे

नाम	पता	योग्यता (बीमा दलाली परीक्षा में उत्तीर्णता सहित)	पूर्व अनुभव (बीमा दलाली परीक्षा में उत्तीर्णता सहित)	पिछला रोजगार	दायित्वों का विवरण

घोषणा

(इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों अथवा दो साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए)

मैं/हम इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

मैंने/हमने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि

- (क) मैं/हम बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं ।
- (ख) मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।
- (ग) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है ।
- (घ) मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूंगा/दूँगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे ।
- (ङ) मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

के लिए और उनकी ओर से

नाम

पदनाम

नाम

पदनाम

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015****बीमा विपणन फर्म रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु संलग्न किये जाने के लिए प्रलेखीकरण****क. पूर्ण आवेदन-पत्र की प्रस्तुति।**

- (क) फार्म डी में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।
- (ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 14 के अंतर्गत निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा आवश्यक शुल्क का प्रेषण।
- (ग) प्रधान अधिकारी, निदेशकों और प्रबंध भागीदारों से प्राप्त योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड की घोषणा 'योग्यता और उपयुक्तता फार्म' में (प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग) दी जानी चाहिए।
- (घ) कार्यक्षेत्रों (वर्तमान और प्रस्तावित) के लिए मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे कार्यालय के स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/ पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ मूलभूत संरचना का विवरण।
- (ङ) प्रधान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये 25 घंटे के नवीकरण प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र।
- (च) पिछले तीन वर्ष के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियाँ।
- (ज) ऐसी किसी अन्य सूचना को अभिलिखित करें जो बीमा व्यवसाय के विकास और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित हो।
- (झ) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

- (क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मों पर दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ख) दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना शेरधारिता के स्वरूप, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य विषय तथा प्राधिकरण के अभिमतों के आधार पर दी जाएगी।

(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015**बीमा विपणन फर्म के लिए बीमा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए****प्रमाणपत्र**

प्रमाणपत्र सं. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

बीमा विपणन फर्म का नाम :

पता.....

रजिस्ट्रीकरण सं. : समाप्ति की तारीख :

प्रमाण-पत्र धारक का नाम :

(बीमा विक्रेता)

पता :

.....

.....

अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने और परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य मेंको इसके द्वारा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने अथवा उसकी अपेक्षा करने के लिएसे तीन वर्ष के लिए बीमा विपणन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रचलित होने के अधीन बीमा विपणन फर्म के बीमा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान :

दिनांक : कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्रमाण-पत्र धारक के हस्ताक्षर :

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/ असा./161/14]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 21st January, 2015

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015

F. No. IRDAI/Reg/1/91/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and sections 42D and 42E of Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short Title and Commencement of the Regulations:

- 1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.
- 1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I**Preliminary****2. Definitions:**

- 2.1 "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time.
- 2.2 "Applicant" means —
 - a. A company formed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any enactment thereof or under any previous company law which was in force; or
 - b. A limited liability partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008; or
 - c. Co-operative Societies registered under Co-operative Societies Act, 1912 or under any law for registration of Co-operative Societies; or
 - d. Any other person as may be recognized by the Authority to act as an Insurance Marketing Firm.
- 2.3 "Approved Institution" means an institution engaged in education and/or training particularly in the area of insurance sales, service and marketing, approved and notified by the Authority from time to time.
- 2.4 "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- 2.5 "Examination Body" for the purpose of these Regulations is the examination body approved by the Authority for conducting certification exams.
- 2.6 "Financial Service Executive" (FSE) is an individual employed by Insurance Marketing Firm and holding a valid licence issued by respective financial regulators, other than the Authority, to market products specified in regulation 3(c) of these regulations.
- 2.7 "Fit and Proper" is the criteria for determining the suitability for licensing an Applicant including his principal officer, directors or partners to act as Insurance Marketing Firm.
- 2.8 "Insurance Marketing Firm" is an entity registered by the Authority to solicit or procure insurance products as specified in regulation 3(a) of these regulations, to undertake insurance service activities as specified in regulation 3(b) of these regulations and to distribute other financial products as specified in regulation 3(c) of these regulations by employing individuals licensed to market, distribute and service such other financial products.
- 2.9 "Insurance Sales Person" (ISP) is an individual employed by Insurance Marketing Firm to solicit or procure insurance products and who holds a valid certificate issued by the Authority for the purposes of the same.
- 2.10 "Insurance Servicing Activity" means the activities specified in regulation 3(b) of these regulations.
- 2.11 "Principal Officer" of Insurance Marketing Firm means a director or a partner or any officer or employee so designated by it, and approved by the Authority, to exclusively supervise the activities of Insurance Marketing Firm and who possesses the requisite qualifications and practical training and who has passed examination as required under these Regulations.

- 2.12 “Regulations” means Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.
- 2.13 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, as amended from time to time, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any of the Regulations/Guidelines made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts/Regulations/Guidelines.

3. Scope and applicability of these Regulations:

These regulations shall cover

- a. Registration of Insurance Marketing Firm by engaging ISP for the purpose of soliciting and procuring Insurance Products of two Life, two General and two Health Insurance companies at any point of time, under intimation to the Authority.

Provided that in respect of general insurance, the Insurance Marketing Firm shall be allowed to solicit or procure only retail lines of insurance products as given in the file & use guidelines namely motor, health, personal accident, householders, shopkeepers and such other insurance products approved by the Authority from time to time.

Provided further that any change in the engagement with the insurance companies shall be done only with the prior approval of the Authority and with suitable arrangements for servicing existing policyholders.

- b. Insurance Servicing Activities of the Insurance Marketing Firm by:
- i. undertaking back office activities of insurers as allowed in the Guidelines on Outsourcing Activities by Insurance Companies issued by the Authority;
 - ii. becoming approved person of Insurance Repositories;
 - iii. undertaking survey and loss assessment work by employing on their rolls licensed surveyor & loss assessors;
 - iv. any other insurance related activity permitted by the Authority from time to time.

Explanation: For the purpose of these Regulations, the Insurance Marketing Firm shall undertake the insurance servicing activities in respect of only those insurance companies with whom they have an agreement for soliciting or procuring insurance products;

- c. Marketing of other financial products through the FSE engaged by the Insurance Marketing Firm namely:
- i. mutual funds of mutual fund companies regulated by SEBI;
 - ii. pension products regulated by PFRDA;
 - iii. other financial products distributed by SEBI licensed Investment Advisors;
 - iv. banking/ financial products of banks/ NBFC regulated by RBI;
 - v. non-insurance products offered by Department of Posts, Government of India;
 - vi. any other financial product or activity permitted by the Authority from time to time.

CHAPTER II

REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM

4. Application for grant of Registration to Insurance Marketing Firm:

- 4.1 An Applicant desiring to obtain a Registration to act as an Insurance Marketing Firm shall follow the following procedure: -
- (a) Submit an application to the Authority in the Form A as specified in these Regulations.
 - (b) Remit the non-refundable application fees of five thousand rupees plus applicable tax along with the application for grant of a registration.
 - (c) Submit all the necessary documents as mentioned in detail in the application Form- A along with declaration of principal officer/directors/managing partners satisfying the fit & proper criteria in the prescribed form or as may be additionally prescribed by the Authority.
 - (d) Submit copy of the Insurance Marketing Firm Exam pass Certificate of the Principal Officer and the ISPs proposed to be engaged by the Insurance Marketing Firm.

- (e) Submit copy of the surveyors and loss assessor license of the person proposed to be employed by Insurance Marketing Firm, if the Insurance Marketing Firm proposes to undertake any insurance survey and loss assessing assignments.
- (f) Submit copy of the approved person certificate of the Insurance Repository of the Insurance Marketing Firm.
- (g) Submit copy of the licenses or authorization or registration obtained by the FSE proposed to be employed by the Insurance Marketing Firm issued by SEBI, RBI, PFRDA, Post Office for the line of activity proposed to be undertaken.

4.2 An application, submitted by the Applicant that is not complete in all respects and/or not conforming to the instructions specified in application form and/or not complying with the requirements and/or directions of the Authority, may be rejected.

Provided that, before rejecting any such application, the Applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

5. Consideration of application and eligibility criteria for Insurance Marketing Firm:

5.1 The Authority while considering an application for grant of a registration shall take into account, all matters relevant to carrying out of the functions by the Insurance Marketing Firm.

5.2 Without prejudice to the above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely:-

- i. whether any of the Directors, Partners, Principal Officer or one or more of its officers or other employees so designated by it and in the case of any other person, the chief executive by whatever name called, or one or more of his employees designated by him of the Applicant is suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time;
- ii. whether any person, directly or indirectly connected with the Applicant, has been refused in the past the grant of any license or registration by the Authority.

Explanation:- For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, or a group company of the Applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013,) as amended from time to time or The Competition Act, 2002, as the case may be.

- iii. whether the Applicant fulfills the capital adequacy requirements as specified in Regulation 6.
- iv. whether the 'Principal Officer, and ISP meet the criteria as laid down under Schedule I, Schedule II and Schedule III as applicable.
- v. Whether the Applicant has the necessary infrastructure like adequate office space earmarked for its Insurance Marketing Firm activities, equipment and trained manpower to effectively discharge its activities.
- vi. Whether the Applicant has in its name the word "Insurance Marketing Firm".
- vii. Whether the Applicant which is also engaged in activities other than insurance activities, has necessary approvals/ authorizations from respective authorities;
- viii. Whether the Authority is of the opinion that the grant of registration will be in the interest of policyholders and other clients.

6. Capital Requirements of Insurance Marketing Firm:

6.1 The Applicant shall have a net worth of not less than ten lakh rupees.

Explanation: For the purposes of these regulations, "net worth" shall have the meaning assigned to it in Companies Act 2013 and as amended from time to time.

6.2 The Applicant shall ensure that the net worth is maintained at all times and Insurance Marketing Firm shall submit a certificate duly certified by a chartered accountant to this effect annually within three months from the close of the financial year.

6.3 The aggregate holdings of equity shares or contribution of the Insurance Marketing Firm by a foreign investors , including portfolio investors, do not exceed forty-nine per cent of paid up equity capital or contribution of the Insurance Marketing Firm at any time. For the purposes of these regulations, the calculations of foreign investment shall be made in the same manner as specified in the Insurance Regulatory and Development

Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 for an insurer, as amended from time to time.

7. Principal Officer of the Insurance Marketing Firm:

- 7.1 The Insurance Marketing Firm shall designate a Principal Officer who shall be the overall incharge and shall be responsible for regulatory compliance to the Authority.
- 7.2 The eligibility criterion for the Principal Officer is specified in Part I of Schedule I of these Regulations.
- 7.3 The Training and Examination procedure for the Principal Officer is specified in Part II of Schedule I of these Regulations.
- 7.4 The Fit and Proper criteria applicable to the Principal Officer is specified in Part III of Schedule I of the Regulations.
- 7.5 The General Eligibility Criterion and norms applicable to the Principal Officer are specified in Part IV of Schedule I of the Regulations.

8. Certification for ISP and FSE of the Insurance Marketing Firm:

- 8.1 The Certification requirements for marketing insurance and financial products for ISP and FSE respectively in the Insurance Marketing Firm are specified in Part I of Schedule II of these Regulations.
- 8.2 The Qualifications and Eligibility criterion for the ISP of the Insurance Marketing Firm is specified in Part II of Schedule II of these Regulations.
- 8.3 The Training, Examination and Certification procedure for the engagement of the ISP of the Insurance Marketing Firm is specified in Part III of Schedule II of these Regulations.
- 8.4 The requirements for the engagement of FSE for marketing financial products are enumerated in Part IV of Schedule II of these Regulations.
- 8.5 The Code of Conduct for the ISP and FSE is specified in Schedule IX of these Regulations.
- 8.6 Insurance Marketing Firm may engage the same person for sale of both insurance and other financial products, if he meets the qualification criteria and certification requirements as laid out in these Regulations.

9. Requirement of Professional indemnity insurance for Insurance Marketing Firm:

- 9.1. Every insurance marketing firm shall take out and maintain at all times a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the registration granted to it by the Authority.

Provided that the Authority shall in suitable cases allow a newly registered insurance marketing firm to produce such a policy within twelve months from the date of issue of original registration and with minimum sum insured of Rs 10 lakhs.

- 9.2. The limit of indemnity shall be two times the total remuneration of the insurance marketing firm subject to a minimum of Rupees ten lakh. For the purpose of this sub regulation, the total remuneration includes remuneration from their insurance solicitation/procuring activities, insurance servicing activities and marketing of other financial products activities as specified in these regulations.
- 9.3 The scope of cover and other terms and conditions of the Professional Indemnity Policy is specified at Schedule X of these regulations.

10. Grant of Registration to Insurance Marketing Firm:

- 10.1 The Authority on being satisfied that the Applicant complies with the provisions specified in Regulations 4,5,6,9 & 11 and the other relevant regulations shall grant a registration in Form B.
- 10.2 An Insurance Marketing Firm registered under these regulations for a specified category of activity/activities may also apply for addition/deletion of activity/activities, which are allowed under these regulations, by fulfilling the requirements of these regulations.

11. Conditions of grant of registration to Insurance Marketing Firm:

The registration granted under regulation 10 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions:-

- 11.1 The Insurance Marketing Firm registered under these regulations shall be permitted to solicit and procure insurance products of two life, two general and two health insurance companies only;
- 11.2 The Insurance Marketing Firm shall comply with the provisions of the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Regulations, Circulars, Guidelines and any other instructions issued there under;

- 11.3 The Insurance Marketing Firm shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority by them are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- 11.4 The insurance marketing firm shall take adequate steps for redressal of grievances, of the clients within 15 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such clients in format and manner as may be prescribed the Authority as may be notified separately;
- 11.5 The Insurance Marketing Firm shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with their size and the number of ISPs they employ.
- 11.6 The Insurance Marketing Firm under no circumstance shall undertake multi-level marketing;
- 11.7 The Insurance Marketing Firm shall ensure compliance of Code of Conduct applicable to ISPs, FSEs and of all other insurance service activities undertaken by them;
- 11.8 The insurance marketing firm shall comply with the requirements/conditions/regulations of other regulatory/statutory authorities.

12. Period of validity of registration of the Insurance Marketing Firm:

- 12.1 The registration issued under these Regulations shall be valid for a period of three years from the date of its issue, unless it is suspended or cancelled by the Authority.
- 12.2 The registration issued by the Authority can be suspended or cancelled by the Authority for any of the reasons stated in Schedule VIII of these Regulations.
- 12.3 In case the Authority suspends or cancels the registration of the Insurance Marketing Firm, the Insurance Marketing Firm shall cease to solicit new insurance business and continue to service the existing policies for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by Insurance Marketing Firm for having the contracts attended to and serviced by respective insurers or by another Insurance Marketing Firm registered to operate in that jurisdiction as may be approved by the Authority.
- 12.4 No Insurance Marketing Firm is allowed to function as such after the expiry of registration unless it is renewed by the Authority. They shall not engage any person without a valid registration for the purposes of carrying out the functions of Insurance Marketing Firm.

13. Rejection of an application: Procedure to be followed when registration is not granted to Insurance Marketing Firm:

- 13.1 Where an application for grant of a registration under regulation 4 does not satisfy the conditions set out in regulations 5 and 11, the Authority may refuse to grant the registration.
Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.
- 13.2 The refusal to grant a registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the Applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- 13.3 Any Applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for reconsideration of its decision.
- 13.4 The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the applicant in writing within sixty days of the receipt thereof.
- 13.5 Any applicant aggrieved by the decision of the Chairman may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under sub-regulation 13.4 above is received by him, for passing such orders thereon as it thinks fit, conforming, modifying or setting aside the order appealed against.
- 13.6 In case the Securities Appellate Tribunal after consideration of the application made under sub-regulation (13.5) above, rejects the appeal, the Applicant can make a fresh application for grant of registration only after one year from the date of final rejection. The Authority may consider such application on merit.

Chapter III

Renewal of Registration of Insurance Marketing Firm

14. Procedure for the Renewal of Registration of Insurance Marketing Firm –

- 14.1 The Insurance Marketing Firm shall submit the application for renewal of registration to the Authority in Form AA at least thirty days before the expiry of the registration. However, the Insurance Marketing Firm is permitted to apply for renewal ninety days before the expiry of the registration.

- 14.2 The documents to be submitted by the Applicant along with the renewal application form are mentioned in the renewal Application Form AA.
- 14.3 The applications for renewal of registration shall be submitted along with a renewal fee of Rs. Two thousand only plus service tax. The applicants shall have to pay an additional fee of Rs. One hundred by way of penalty, if the application for renewal of the registration does not reach the Authority at least thirty days before the date on which the registration ceases to remain in force.
- Provided that the Authority may, for sufficient reasons specified in writing by the Applicant for a delay, accept an application for renewal after the date of the expiry of the registration up to a period of 60 days of the actual date of expiry of registration on payment of penalty of seven hundred and fifty rupees only by the Applicant.
- Provided further that the application for renewal received after 60 days of the expiry of the registration will be considered only after a lapse of 12 months from the date of expiry of registration. However, during the interregnum, the registration of the Insurance Marketing Firm shall cease to exist and they shall not solicit any new insurance business except servicing the existing policies till the expiry of such contracts.
- 14.4 The Principal Officer and ISPs of the Insurance Marketing Firm before seeking a renewal of registration shall have completed at least twenty five hours of theoretical and practical training, imparted by an institution recognized by the Authority.
- 14.5 The application for renewal, under sub-regulation 14.1 of these regulations shall be dealt with in the same manner as specified under regulation 5.
- 14.6 The Authority may seek further information/clarification/data on the application submitted by the Insurance Marketing Firm while processing the application and the Insurance Marketing Firm shall submit such information within 21 days of receipt of the communication from the Authority.
- Provided if the applicant seeks additional time, for the reasons specified, for submission of information sought by the Authority, the request shall be considered by the Authority on merit.
- 14.7 The Authority, on being satisfied that the Applicant fulfills all the conditions specified for renewal of the registration, shall renew the registration in Form D for a period of three years and send intimation to that effect to the Applicant.
- 15. Procedure where renewal of registration is not granted to Insurance Marketing Firm**
- 15.1 Where an application for renewal thereof under regulation 14, does not satisfy the conditions set out in regulation 5 and 11, the Authority may refuse to grant the registration.
- Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.
- 15.2 The refusal to grant a registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the Applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- 15.3 Any Applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.
- 15.4 The Chairman of the Authority shall consider such request and communicate his decision thereon to the Applicant in writing within sixty days of the receipt of the application for reconsideration thereof.
- 15.5 Any applicant aggrieved by the decision of the Chairman may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under sub-regulation 15.4 above is received by him, for passing such orders thereon as it thinks fit, conforming, modifying or setting aside the order appealed against.
- 15.6 In case the Securities Appellate Tribunal after consideration of the application made under sub-regulation (15.5) above, rejects the appeal, the Applicant can make a fresh application for grant of registration only after one year from the date of final rejection. The Authority may consider such application on merit.
- 16. Effect of refusal to grant renewal of registration to Insurance Marketing Firm:**
- Any Applicant, whose application for renewal of registration under regulation 14 has been refused by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under regulation 15 cease to act as an Insurance Marketing Firm and cease to solicit Insurance business and conduct insurance activities. The Insurance Marketing Firm, however, shall take necessary steps as specified in regulation 12.3 of these regulations.
- 17. Issue of a duplicate certificate of registration to Insurance Marketing Firm –**
- 17.1 In the event of a certificate of registration being lost or destroyed or mutilated, an Insurance Marketing Firm shall submit to the Authority, along with a fee of rupees one thousand and a declaration giving full details regarding the issue of the registration and its loss or destruction or mutilation, request for issue of a duplicate certificate of registration .

17.2 The Authority, after satisfying itself that the original registration has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate certificate of registration in Form C with an endorsement thereon that it is a duplicate one.

18. Action against a person acting as an insurance marketing firm without a valid registration

18.1 Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as an Insurance Marketing Firm without holding a valid registration issued under these Regulations, the Authority may invoke penal action under the Act, as amended from time to time, against such a person.

18.2 Where the person falling under sub-regulation 18.1, is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be taken by the Authority against the company or firm or body corporate, every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to be proceeded against.

CHAPTER IV

Rules Governing the Insurance Marketing Firm

19. Remuneration, Engagement of Sales Persons, Area of operation applicable to the Insurance Marketing Firms:

19.1 The rules governing the remuneration payable to the Insurance Marketing Firm are stated in Part I of Schedule IV.

19.2 The rules governing the engagement of ISP and FSE in the Insurance Marketing Firm are stated in Part II of Schedule IV.

19.3 The rules governing the area of operation of the Insurance Marketing firm are stated in Part III of Schedule IV.

20. Duties & Obligations of Insurance Marketing Firm:

The duties and obligations of the Insurance Marketing Firm are enumerated in Schedule V of these Regulations.

21. Handling of customer grievances and complaints by Insurance Marketing Firm:

The procedure for handling customer grievances and complaints by the Insurance Marketing Firm shall be as specified in Schedule VI of these Regulations.

22. Inspection of Insurance Marketing Firm:

The Authority has the power to inspect the records of the Insurance Marketing Firm and performance of their activities anytime and in case of any deficiency observed, the Authority may take appropriate disciplinary action. The procedure applicable for the Inspection and the Audit of the Insurance Marketing Firm are mentioned in Schedule VII of these Regulations.

Chapter V

23. Procedure for disciplinary proceeding:

The procedure to be followed by the Authority in the event of an Insurance Marketing Firm violating any of the provisions of the Act, as amended from time to time/ IRDA Act/ Regulations/Guidelines/Circulars/ Notifications shall be as specified in Schedule VIII of these Regulations.

24. Suspension, Cancellation or surrender of Registration made to Insurance Marketing Firm:

The procedure for suspension, cancellation or surrender of registration shall be as given in Schedule VIII of these Regulations.

25. Change in ownership/ shareholding of Insurance Marketing Firm:

No change in ownership/shareholding exceeding 10% in the Insurance Marketing Firm, shall be carried out without the prior approval of the Authority.

CHAPTER VI

Miscellaneous

26. Maintenance of Records:

An Insurance Marketing Firm shall maintain the following records –

- (i) Mandate received from the client;
- (ii) Know Your Client (KYC) records of the client, as required under the relevant Authority's guidelines and provisions of PMLA;
- (iii) Copy of the proposal form duly signed by the client and submitted to the insurer with ACR signed by the IMF;

- (iv) A register containing list of the clients, details of policy such as type of policy, premium amount, date of issue of the policy, charges or fees received;
- (v) A register containing details of complaints received, name of the complainant, nature of complaints and action taken thereon;
- (vi) Any other record as may be specified by the Authority from time to time.

27. Reports to be submitted to the Authority by the Insurance Marketing Firm:

- 27.1 The Authority may require the Insurance Marketing Firm to submit reports/information in the form and manner as may be prescribed by the Authority from time to time.
- 27.2 The Insurance Marketing Firm shall set up necessary IT systems that shall be integrated to the IT Systems of Authority or of an institution recognized by the Authority with a capability of obtaining and monitoring.
 - (a) Payment of minimum wages to the ISP by the Insurance Marketing Firm;
 - (b) ISP being on the rolls of the Insurance Marketing Firm for a continuous period of at least three years unless he cease to be an ISP of Insurance Marketing Firm due to death or fraud or resigned from the services of Insurance Marketing Firm subject to his resignation being approved by a committee of 3 persons nominated by the Life Insurance Council or the General Insurance Council.
 - (c) The Authority shall allocate the States to the Insurance Councils and a report of the committee shall be submitted by the Councils to the Authority on a quarterly basis.

Explanation: An institution/Bank recognized by the Authority will be one with whom the Authority has entered into an MOU based on defined criteria.

28. Power of the Authority to issue clarifications etc:

In order to remove any difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars.

29. General:

- 29.1 From the date of notification of these regulations no person can function as an Insurance Marketing Firm unless a registration has been granted to him by the Authority under these regulations.
- 29.2 Any disputes arising between an Insurance Marketing Firm and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an Insurance Marketing Firm or otherwise, may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.
- 29.3 Any dispute arising out of carrying functions relating to non-insurance by FSEs engaged by the Insurance Marketing Firm shall fall under the jurisdiction of the respective regulators/statutory bodies. However, in case of any action initiated/taken by the respective regulators/statutory bodies against the FSE/IMF, the same shall be informed to the Authority immediately and the Authority may take into account such action and in case such action warrants any disciplinary action against the Insurance Marketing Firm, the Authority may initiate proceedings in the matter.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[F. No. ADVT. III/4/161/15/Exty.]

Schedule I

Part I

Principal Officer of the Insurance Marketing Firm – Eligibility Criteria

Subject to Part IV of this Schedule, the Principal Officer of the Insurance Marketing Firm, shall fulfill any of the eligibility conditions as given below:

- (a) Associate/Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or
- (b) Associate/Fellow of the Institute of Actuaries of India; or
- (c) Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London; or
- (d) Post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or

- (e) Graduate with Insurance experience of five years preceding the year in which the application is made; or
- (f) Graduate with 10 years of experience in financial services sector preceding the year in which the application is made.

Part II

Training, Examination and Certification of Principal Officer

The Principal Officer of the Insurance Marketing Firm shall fulfill the requirements for training, examination and certification as mentioned below:

- (a) The Principal Officer shall undergo Fifty Hours of Insurance Marketing Firm training from an institution recognised by the Authority, and should pass an examination, at the end of the period of training, conducted by the Examination Body recognised by the Authority.
- (b) In case the Principal Officer of the Insurance Marketing Firm possesses any one of the following qualifications, then he/she shall undergo Twenty Five Hours of training and pass the examination:
 - (i) Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or
 - (ii) Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or
 - (iii) Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London; or
 - (iv) Post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad.
- (c) The Training Methodology and Examination procedure applicable for Principal Officer is specified in Schedule III of these Regulations.

Part-III

Fit & Proper Criteria for Principal Officer of the Insurance Marketing Firm

- (a) The Principal Officer of the Insurance Marketing Firm seeking registration shall be considered as a 'fit and proper person', if he fulfills the conditions, including, but not limited to the following criteria –
 - (i) financial integrity;
 - (ii) absence of convictions or civil liabilities;
 - (iii) competence;
 - (iv) good reputation and character;
 - (v) efficiency and honesty; and
 - (vi) absence of any disqualification to act as an intermediary as stipulated in the Act, as amended from time to time.
- (b) An Applicant shall be considered as "NOT Fit and Proper" for the purpose of grant or renewal of registration to act as an Insurance Marketing Firm or to continue to act as an Insurance Marketing Firm under any one or more of the relevant regulations, if he attracts any of the following:
 - (i) the Principal Officer or the Insurance Marketing Firm, or its whole time director or managing partner has been convicted by a Court for any offence involving moral turpitude, economic offence, securities laws or fraud;
 - (ii) an order for winding up has been passed against the Insurance Marketing Firm;
 - (iii) the principal officer or the Insurance Marketing Firm, or its whole time director, or managing partner has been declared insolvent and has not been discharged;
 - (iv) an order, other than an order of suspension of certificate of registration as an Insurance Marketing Firm, restraining, prohibiting or debaring the principal officer or the Insurance Marketing Firm, or its whole time director or managing partner from dealing in Insurance solicitation or other insurance service activity has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of one year from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
 - (v) the Principal Officer or the Insurance Marketing Firm, is financially not sound;
 - (vi) any other reason, to be recorded in writing by the Authority, which in the opinion of the Authority, renders such Principal Officer or the Insurance Marketing Firm, or its whole time director or managing partner unfit to function as an Insurance Marketing Firm.

- (c) The Principal Officer shall furnish the ‘FIT and Proper Form’ prescribed, along with the application for grant of new or renewal of existing registration to function as an Insurance Marketing Firm.

Part IV

General Eligibility Conditions

The Applicant seeking registration shall be considered as eligible if they fulfill the following conditions: –

- a. Should not suffer from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42D of the Act, as amended from time to time;
- b. the principal officer of the applicant should have undergone training and passed examination as specified by the Authority;
- c. the principal officer of the applicant should have not violated the duties and responsibilities as specified by the Authority;
- d. Should comply with all the applicable provisions of the:
 - (i) Act, as amended from time to time, the IRDA Act, 1999, and the rules, regulations, circulars or guidelines, as applicable, issued by IRDA from time to time.
 - (ii) Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.
 - (iii) Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in Securities Markets) Regulations 2007.
 - (iv) Regulations issued by other regulatory/statutory/Government Authorities such as SEBI, PFRDA, RBI, Post Office wherever applicable.

Schedule II

Part I

Certification requirements for ISP & FSE

- A. The Insurance Marketing Firm can engage individuals to market Insurance and/or Financial Products as specified in regulation 3(a) and 3(c).
- B. Insurance Marketing Firm is **not** permitted to engage in marketing any other financial products other than the financial products specified above.
- C. ISPs engaged by the Insurance Marketing Firm to market Insurance products of Life Insurance, General Insurance, and Health Insurance companies, should have valid certificate issued by the Authority, as specified in these Regulations.
- D. FSEs engaged by the Insurance Marketing Firm to market financial products, should have valid license or certificate issued by the respective regulator as specified in these Regulations.
- E. FSEs shall be governed by the regulations of the respective regulators and shall be responsible for any act of omission and commission and subject to any disciplinary action initiated by the respective regulatory/ statutory authorities.

Part II

Qualifications and Eligibility criteria for ISP:

The ISP shall possess the minimum qualification of:

- a. Pass in 12th Class or equivalent examination from a recognized Board/Institution.
- b. Should have undergone the Insurance Marketing Firm Training prescribed by the Authority and qualified in the Insurance Marketing Firm Examination from an institution recognized by the Authority as detailed in Part III below.
- c. Should be domiciled in the area of Registration of IMF.

Part III

Training, Examination and Certification of ISP

The ISP of an Insurance Marketing Firm shall meet the same requirements of training, examination and certification as those prescribed for the Principal Officer of the Insurance Marketing Firm given in Part II of Schedule I.

Part IV**Engagement of FSE**

- A. FSEs engaged by the Insurance Marketing Firm for marketing other financial products as specified in regulation 3(c) of these regulations shall possess valid license/certificate/authorization issued by respective authorities empowered to issue such license/certificate/authorization.
- B. FSE deployed in the Insurance Marketing Firm shall meet the necessary training, qualifications, experience and other requirements as may be specified by the other regulatory/ statutory authorities for the line of activity undertaken on an on-going basis in order to be fully in compliance with applicable law, regulations, rules, guidelines, circulars, etc.

SCHEDULE-III**Training Methodology for Insurance Marketing Firm Training and Examination****1. General:**

- (i) The Insurance Marketing Firm Training material and self-assessment content shall be in digital downloadable format and shall be hosted under a suitable Learning Management System by any institution as approved by the Authority from time to time.
- (ii) The self-assessment tests shall be in multiple-choice models.
- (iii) The candidate shall register on the Learning Management System website and complete the training.
- (iv) The candidate shall download the digital training content to his PC/laptop and complete the self-learning modules.
- (v) At the end of each module the candidate shall complete the self-assessment test. The Learning Management System shall not allow the candidate to complete more than two self-assessment tests per day.
- (vi) On completion of the self-assessment test for each of the module, the candidate shall earn one hour training credit.
- (vii) The candidate shall complete all the self-learning modules and self-assessment tests online to earn the credit for 50 hours training/25 hours training as the case may be.
- (viii) For the purposes of these regulations, the Insurance Marketing Firm training shall be same as that of Insurance Brokers training and the Insurance Marketing Firm examination shall be same as that the Insurance Brokers' Examination. However, the training and pass certificate issued to an ISP shall not be used for solicitation or procurement of insurance business on behalf of an insurance broker or an insurance broker shall not engage any ISP for the purpose of soliciting or procuring insurance business.

2. Examinations and Certification

- (i) The online examination shall be conducted by an institute approved by the Authority in their centres spread across India.
- (ii) The candidate on completion of training and earning 50 hours training/25 hours training credit, as the case may be, shall be eligible for appearing for the online examination.
- (iii) The periodicity of the online examination shall be decided by the examination body in consultation with institute conducting the examination;
- (iv) The examination questions shall be displayed with multiple choices of answers.
- (v) The examination shall cover Life, General and Health insurance syllabus as prescribed by the Authority.
- (vi) There shall be no limit for the number of attempts for appearing the examination by the candidate.
- (vii) The candidate shall pay the appropriate fee for training and examination to the examination body.
- (viii) The results will be published on the web site of the examination body and the Authority.
- (ix) Candidates who are declared 'pass' in the examination will be issued a Certificate, by the Examination Body; which shall be referred to as "Certificate of Passing Insurance Marketing Firm Exam".
- (x) The examination institute will forward a copy of the certificate and the data of the candidates who have passed the exam to the Authority in the electronic format prescribed by the Authority.
- (xi) The Authority will process the application of the Applicant and consider issuance of registration , as per eligibility conditions prescribed in the Regulations.

Schedule IV

Rules Governing the Insurance Marketing Firm

Part – I - Remuneration payable to the Insurance Marketing Firm

- (1) The Insurer shall make all remuneration for soliciting and procuring insurance policies undertaken by an Insurance Marketing Firm, to the concerned Insurance Marketing Firm only, and **not** to any other person or entity.
- (2) The remuneration payable to Insurance Marketing Firm by the Insurer, for the solicitation of policies by the ISPs shall be as specified by the Authority, from time to time, under Secs. 40(1) and 40(2) of the Act, as amended from time to time.

In addition, the Insurance Marketing Firm may receive fees or charges from life insurance companies only in the form of service charges for recruitment, training and mentoring of their ISPs. These fees or charges shall not exceed 50% of first year commission and 10% of renewal commission received by IMF. No such payment shall be made in case of general/health insurance business. The life insurance companies shall have to disclose to the Authority upfront at the time of filing their products under file & use guidelines on payment of such fees or charges to the Insurance Marketing Firm.

- (3) The Insurance Marketing Firm shall also be entitled to receive the fees for undertaking insurance service activities as mentioned in regulation 3(b) as may be mutually agreed between the Insurance Marketing Firm and the Insurance Company which shall be reasonable depending upon the time and effort and should be evidenced by an agreement entered at the outset with basis of fees being clearly addressed.
- (4) The Insurance Marketing Firm will also be entitled to collect the 'Applicable Service Charges' from the financial entities for the services rendered by the FSE employed by the Insurance Marketing Firm.
- (5) The settlement of accounts by insurers in respect of remuneration of Insurance Marketing Firm shall be done on a monthly basis.

Part II

Remuneration of ISPs and FSEs and migration of ISPs

- (1) Minimum fixed salary of ISP and FSE:
 - (i) Every ISP employed by the Insurance Marketing Firm shall be paid a fixed monthly salary, which is **not** lower than Rs. 5,000 per month or such other sum as may be specified by the Authority from time to time.
 - (ii) The FSE shall be paid remuneration by the financial entities as per the applicable guidelines of respective regulators.
 - (iii) An Insurance Marketing Firm found violating the condition set out in clause (i) above would be liable for cancellation of registration with notice.
- (2) Migration of insurance agents to Insurance Marketing Firm:
 - (i) An ISP in an Insurance Marketing Firm should possess a valid certificate issued by the Authority for ISP.
 - (ii) An individual agent cannot migrate or join Insurance Marketing Firm unless he has surrendered his existing agency license, undergone Insurance Marketing Firm training and qualified the Insurance Marketing Firm examination specified under these Regulations.
 - (iii) An Individual licensed as an ISP in an Insurance Marketing Firm shall not be allowed to migrate to any insurance company, insurance marketing firm or insurance broking firm unless he has obtained a No Objection Certificate (NOC) from the existing Insurance Marketing Firm.

Subject to provisions of Reg. 27(2)(b) and without prejudice to what is stated in clause 2(iii) above, in case of an application made by the ISP to Insurance Marketing Firm for issuance of NOC, which is duly acknowledged by the Insurance Marketing Firm, an NOC is deemed to have issued to ISP by the Insurance Marketing Firm if such NOC is not issued within 30 days.

PART III

Area of operation of the Insurance Marketing Firm

- (1) The Insurance Marketing Firm shall employ ISPs who are domiciled in the area for which the request for registration is made in the application and approved by Authority. However, the IMF shall be free to solicit or procure the insurance business from all over the country;
- (2) The "Area" is defined as a district for which the registration of the Insurance Marketing Firm is valid.

- (3) The Area selected by the Insurance Marketing Firm shall be clearly mentioned in the application Form A while submitting the application to the Authority. At the time of initial grant of registration the IMF shall be permitted to set up offices only in one district of his choice;
- (4) The Authority shall incorporate the Area in the registration made in Form B to the Insurance Marketing Firm.
- (5) The Insurance Marketing Firm may apply for more Areas while filing the application form for renewal of registration.
- (6) The Insurance Marketing Firm shall specify the details of the offices to be set up in the Areas opted; including manpower deployment etc. in the Renewal Application form. The Insurance Marketing Firm shall have separate Principal Officer designated for each of the districts they intent to expand their operations. The additional areas shall be considered on merits.
- (7) If additional Areas are not opted by the Insurance Marketing Firm in the renewal Application, renewal will be considered for the original jurisdiction for which the registration was made.
- (8) The Insurance Marketing Firm may opt for a change in the Area while applying for renewal of registration. The Authority may consider the request subject to the Insurance Marketing Firm submitting details of the offices to be set up in the newly opted areas; including manpower deployment etc. in the Renewal Application form.

Schedule V

Part – I

Duties and Obligations of Insurance Marketing Firm towards ISP

- (1) Insurance Marketing Firm, on obtaining the registration from the Authority, may enter into agreement with Insurance companies for carrying out Insurance Business activity.
- (2) Insurance Marketing Firm shall engage licensed ISP and FSE on salary and incentive basis.
- (3) Insurance Marketing Firm shall include the relevant conditions and clauses in the agreement with the ISP engaged by the firm on matters relating to—
 - a. Engagement with the Insurance Marketing Firm
 - b. Prescribed code of conduct,
 - c. Sales processes/rules etc.
 - d. Remuneration
 - i. The remuneration payable to ISP by the Insurance Marketing Firm, for solicitation and procurement of policies by the ISPs shall be on salary and incentive basis.
 - ii. In addition to the minimum amount specified (Sch. IV, Part II) above, the Insurance Marketing Firm, depending upon ISPs performance can pay him additional incentives, which are declared upfront and form part of the employment agreement between him and the Insurance Marketing Firm.
 - e. The Insurance marketing Firm under no circumstances can dismiss the ISP from employment during the period of the registration, except as allowed under Reg. 27 (2) (b).
 - f. Any change of employer by the ISP shall be at the time of renewal of the registration of the Insurance Marketing Firm or by way of resignation submitted to the Insurance Marketing Firm subject to fulfillment of conditions as laid down in regulation 27(2)(b) of these regulations.
- (4) Insurance Marketing Firm shall assist the individuals intending to become ISPs to undergo the prescribed training and certification.
- (5) Insurance Marketing Firm shall ensure continuous monitoring of the activities of the ISP and be responsible for the compliance of these Regulations and the code of conduct by ISPs.

Part – II

Duties and Obligations of Insurance Marketing Firm towards Authority

The Insurance Marketing Firm shall

- a. Undertake to immediately notify the Authority in writing within 30 days of:
 - i. any change in the status of registration with regard to scope of activities of the Insurance Marketing Firm issued by the Authority;
 - ii. any change in the status of registration of the ISP issued by the Authority;

- iii. any change in the status of registration of any FSE holding the registration of any other regulator employed by the Insurance Marketing Firm;
 - iv. any change in its constitution(including shareholding change), ownership, directors/partners;
 - v. any disciplinary proceedings or investigation by any other regulatory/statutory Authority.
- b. ensure that ISPs responsible for solicitation of insurance business shall be competent, qualified, have undergone the required training and passed the examination as specified by the Authority;
 - c. not divulge any confidential information about its client, which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
 - d. adhere to the IRDA (Advertisement & Disclosure) Regulation, 2000, as applicable to intermediaries as amended from time to time and take measures to enhance the awareness of insurance.
 - e. display at their place of work/office, details of their registration issued by the Authority such as, date of issue of registration and its validity, and list of permitted business activities, grievance handling process, list of ombudsman and such other relevant information as may be required under other applicable statute.
 - f. comply with all applicable provisions under the Act, as amended from time to time, including rules, regulations, circulars and guidelines issued by Authority from time to time.
 - g. Perform its duties, functions in accordance with terms of the registration in a manner that they do not work as fronting arrangements or a franchise institution and shall act in the public interest and in fiduciary capacity be accountable for the omissions and commissions of their own employees/persons engaged by them, in case of violations committed by such employees/persons;
 - h. maintain a Professional Indemnity Insurance Cover as required under Regulations;

Part III

Duties and Obligations of Insurance Marketing Firm towards Insurance Companies

Insurance Marketing Firm, on obtaining the registration from the Authority under Sec. 42D of the Act, as amended from time to time, to act as an insurance intermediary, may enter into agreements with Insurance companies for carrying out Insurance Business activity. The Agreement shall include conditions relating to.

- (a) Engagement with the Insurance Marketing Firm
- (b) Prescribed code of conduct,
- (c) Sales processes/rules etc.
- (d) Remuneration basis
- (e) Minimum term
- (f) Sharing of records
- (g) Product training
- (h) Collection of premiums through Reserve Bank of India (RBI) recognized mode of payments and as mutually agreed between the IMF and the insurer in the agreement.

Schedule VI

Handling of customer grievance and complaints by Insurance Marketing Firm:

1. ISP

- (1) The complaint received against an ISP from the client shall be dealt in accordance with the Regulations issued by the Authority from time to time.
- (2) The IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2002 as amended from time to time shall continue to apply to both the Insurance Marketing Firm and the ISP jointly and severally.
- (3) The insurance marketing firm and the ISP shall be accountable for the omissions and commissions. In case of violations committed by such ISPs, the insurance marketing firm and the ISP are responsible for indemnification for their acts.
- (4) The Authority may conduct investigation of the Insurance Marketing Firm to check the procedure for complaint handling and other activities undertaken by them, as and when required. The Authority may appoint a chartered accountant or an actuary or any qualified and experienced individual in the field of insurance for conduct of such investigation.

Provided that the person so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as are mentioned in regulation 22 under these regulations.

Explanation- For the purposes of this regulation the expression “chartered accountant” shall have the same meaning as given in Section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as amended from time to time, and the expression ‘actuary’ shall have the same meaning as given in section 2(1)(a) of The Actuaries Act, 2006 (35 of 2006)

2. **FSE** – The handling of customer grievance and complaints and providing after sales services in case of non-insurance business carried by IMF through FSEs shall be governed by the conditions prescribed by the respective regulatory/ statutory/Government authorities.

Schedule VII

PART I

Inspection of Insurance Marketing Firm

1. **Power of Authority to inspect:** The Authority may *suomotu* or upon receipt of information or complaint, appoint one or more of its officers as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to Insurance Marketing Firm for any of the following reasons:
 - (i) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the insurance marketing firm in the manner as may be specified by the Authority ;
 - (ii) to inspect the handling of complaints received from clients or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the Insurance Marketing Firm;
 - (iii) to ascertain whether the provisions of the Act, as amended from time to time, and these Regulations are being complied with by the insurance marketing firm;
 - (iv) to inspect into the affairs of Insurance Marketing Firm, in the interest of the policyholders.
2. **Notice before inspection.**
 - (i) Before ordering an inspection under regulation 22, the Authority shall give not less than ten days’ notice to the Insurance Marketing Firm.
 - (ii) Notwithstanding anything contained in clause (i), where the Authority is satisfied that in the interest of the policyholders no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the Insurance Marketing Firm be taken up without such notice.
3. **Obligation of insurance marketing firm on inspection:**
 - (i) It shall be the duty of every Insurance Marketing Firm in respect of whom an inspection has been ordered under the Regulation 22 and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such Insurance Marketing Firm, including representative of Insurance Marketing Firm, if any, to produce to the inspecting authority such books of accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting authority may require for the purposes of inspection.
 - (ii) It shall be the duty of every Insurance Marketing Firm and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the Insurance Marketing Firm to give to the inspecting authority all such assistance and shall extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and shall furnish such information as sought by the inspecting authority in connection with the inspection.
 - (iii) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, shall have power to examine on oath and record the statement of Principal Officer, any employees, directors, partners or person responsible for or connected with the activities of Insurance Marketing Firm or any other associate person having relevant information pertaining to such Insurance Marketing Firm.
 - (iv) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books of accounts etc in respect activities of Insurance Marketing Firm, from any person having control or custody of such documents.
4. **Submission of Inspection Report to the Authority :** The inspecting authority shall, as soon as possible, but in any case not later than 30 days from the completion of the inspection, submit an inspection report to the Authority:

Provided that if directed to do so by the Authority, the inspecting authority may submit an interim report.

5. **Action on the Inspection Report :** The Authority may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the Insurance Marketing Firm, issue such directions as it deems fit in the interest of policyholders including -
- (i) requiring the Insurance Marketing Firm to refund any money collected as fees, charges or commissions or otherwise to the concerned clients along with the requisite interest.
 - (ii) prohibiting the Insurance Marketing Firm from operating in the insurance market for a specified period.
 - (iii) Any other action as the Authority may deem fit.

PART II

Appointment of Auditor for audit of Insurance Marketing Firm

1. The Authority may appoint a qualified auditor to audit the books of account or the affairs of an Insurance Marketing Firm:

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as mentioned in Part I of this Schedule.

Explanation: For the purpose of this clause, the expression 'qualified auditor' shall have the meaning derived from section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(2) The expenses of such audit under clause(1) shall be borne by the Insurance Marketing Firm.

2. **Submission of report by the Auditor to the Authority -** The Auditor shall, as soon as possible, but in any case not later than 30 days from the date of completion of the audit, submit the report to the Authority:

Provided that if directed to do so by the Authority, the auditor may submit an interim report.

3. **Action on the Audit report by the Authority -** The report submitted by the Auditor shall be dealt with in the same manner as defined under clause (5) of Part-I, Schedule VII of these regulations.

Schedule VIII

Procedure for Disciplinary Proceeding against the Insurance Marketing Firm and ISP

Part I

Cancellation of Registration of the Insurance Marketing Firm with Notice

The Authority may suspend or cancel the registration of an Insurance Marketing Firm for any one or more of the following reasons:

- (i) suffers at any time during the period of the registration from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42D of the Act, as amended from time to time;
- (ii) violates the provisions of the Act, as amended from time to time, IRDA Act 1999 and Rules, Regulations, Guidelines, Notices, Circulars made there under, such as:
 - a. Fails to furnish any information relating to its activities as an Insurance Marketing Firm as required by the Authority;
 - b. Furnishes wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a registration;
 - c. Indulges in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's Directors or other employees or any person acting as an introducer;
 - d. Fails to carry out its obligations as specified in these Regulations;
 - e. Fails to comply with any of the conditions subject to which the registration has been granted;
 - f. Fails to comply with duties and obligations of Insurance Marketing Firm towards ISP;
 - g. Fails to comply with duties and obligations of Insurance Marketing Firm towards Authority;
 - h. Fails to comply with duties and obligations of Insurance Marketing Firm towards Insurance Companies;
- (iii) Resort to spurious calls or mis-selling;
- (iv) Acts in a manner against the interest of the policyholders or against public interest.

Part II**Procedure to be followed while initiation of Action against the Firm.**

1. The Authority shall issue a Show Cause Notice to the Insurance Marketing Firm, requiring the firm to show cause within 21 days from the date of receipt of the notice, why the registration granted to the Insurance Marketing Firm shall not be suspended or cancelled or any other action as considered appropriate by the Authority for the violations noted in the show cause notice shall not be taken.
2. The Insurance Marketing Firm shall submit its reply to show cause notice issued by the Authority within the time limit stipulated in the notice.
3. Upon considering the reply, if any, the Authority may pass an order directing the suspension or cancellation of the registration granted to the Insurance Marketing Firm or shall pass any other order as deemed appropriate based on the facts of the case.
4. The Authority shall communicate the decision to the Insurance Marketing Firm within thirty days from the date of taking such decision stating therein the grounds on which the decision is taken.
5. The Insurance Marketing Firm, aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for reconsideration of its decision.
6. The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the Applicant in writing within sixty days of the receipt of reconsideration application thereof.
7. Any applicant aggrieved by the decision of the Chairman may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under clause (6) above is received by him, for passing such orders thereon as it thinks fit, conforming, modifying or setting aside the order appealed against.
8. In case the Securities Appellate Tribunal after consideration of the application made under clause (7) above, rejects the appeal, the Applicant can make a fresh application for grant of registration only after one year from the date of final rejection. The Authority may consider such application on merit.

Part III**Cancellation of Registration of Insurance Marketing Firm without notice**

The Registration of an Insurance Marketing Firm may be cancelled or suspended without notice, provided the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing:

- (i) if it is found guilty of fraud, or is convicted for a criminal offence;
- (ii) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority;

The procedure to be followed while initiation of Action against the Firm under this regulation is as specified in clauses (4), (5), (6) and (7) of Part II above.

Part IV**Cancellation or suspension of certificate of ISP with notice**

- (i) The Certificate of ISP may be cancelled or suspended after due notice and after giving him a reasonable opportunity of being heard, if the ISP is found guilty of misconduct or his conduct is not in accordance with the code of conduct as specified in these Regulations, or fails to carry out his obligations as specified under these Regulations.
- (ii) The procedure to be followed while initiation of Action against the ISP will be as specified in Part II above as applicable to Insurance Marketing Firm.

Part V**Cancellation or suspension of certificate of ISP without notice**

- (i) The certificate of ISP may be cancelled or suspended without notice if he is found guilty of fraud, or is convicted for a criminal offence, or commits such defaults which require immediate action in the opinion of the Authority, provided that the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing.
- (ii) The procedure to be followed while initiation of Action against the Firm is specified in Part III above as applicable to Insurance Marketing Firm

Part VI**Effect of Suspension or cancellation of registration to Insurance Marketing Firm**

- (i) Any Insurance Marketing Firm or ISP, whose registration has been suspended or cancelled by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under these Regulations, shall cease to act as an Insurance Marketing Firm or ISP and shall cease to solicit Insurance business.
- (ii) On and from the date of suspension or cancellation of the registration of the Insurance Marketing Firm or the ISP, the Insurance Marketing Firm or the ISP shall:
 - (a) not undertake any new assignment or contract related to insurance business or solicit or procure insurance business during the period of such debarment or suspension;
 - (b) take such other action including the action relating to any records or documents and policies or money of the policyholders as per the directions of the Authority and relevant provisions of these regulations.
 - (c) return the registration so cancelled to the Authority and shall not represent itself to be a holder of registration for carrying out the activity for which such registration had been granted;
 - (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
 - (e) take such other action including the action relating to recovery or seizure of any records or documents and policies of the policyholders that may be in custody or control of such person, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under this Chapter or otherwise.
 - (f) Take action as specified in regulation 12.3 of these regulations;

Schedule IX**Code of Conduct of ISP and FSE**

Every ISP holding a valid certificate shall adhere to the code of conduct specified below:

- (i) **Every ISP shall,---**
 - (a) identify himself and the Insurance Marketing Firm of whom he is an ISP;
 - (b) disclose his certificate particulars to the prospect on demand;
 - (c) disseminate the requisite information in respect of insurance products offered; and take into account the needs of the prospect while recommending an insurance product;
 - (d) undertake needs analysis for clients;
 - (e) compare products of insurers with which they have arrangement;
 - (f) recommend the product based on clients' needs;
 - (g) indicate the premium to be charged by the insurer for the insurance product offered;
 - (h) disclose the scales of remuneration in respect of the insurance product offered, if asked by the prospect;
 - (i) explain to the prospect the nature of information required in the proposal form by the insurer, and also the importance of disclosure of material information in the purchase of an insurance contract;
 - (j) bring to the notice of the insurer any adverse habits or income inconsistency of the prospect, in the form of a report (called "Insurance Confidential Report") along with every proposal submitted to the insurer, and any material fact that may adversely affect the underwriting decision of the insurer as regards acceptance of the proposal, by making all reasonable enquiries about the prospect;
 - (k) inform promptly the prospect about the acceptance or rejection of the proposal by the insurer;
 - (l) obtain the requisite documents at the time of filing the proposal form with the insurer and other documents subsequently asked for by the insurer for completion of the proposal;
 - (m) render necessary assistance to the policyholders or claimants or beneficiaries in complying with the requirements for settlement of claims by the insurer;
 - (n) advise every individual policyholder to effect nomination or assignment or change of address or exercise of options, as the case may be, and offer necessary assistance in this behalf, wherever necessary;
 - (o) forward any information received from the client regarding a claim or an incident that may give rise to a claim without delay;
 - (p) advise the client without delay of the insurer's decision or otherwise of a claim; and give all reasonable assistance to the client in pursuing his claim;

- (q) ensure that statements made regarding the policies to the customer are not misleading or exaggerated;
 - (r) ensure the compliance of Section 64-VB(4) of the Act, as amended from time to time;
 - (s) draw the attention of the client to Section 41 of the Act, as amended from time to time, which prohibits rebating and sharing of commission/remuneration;
 - (t) ensure the compliance of AML and KYC guidelines in force.
 - (u) act in a fiduciary capacity towards its clients and shall disclose all conflicts of interests as and when they arise;
 - (v) follow recognized standards of professional conduct and discharge his functions in the interest of the policyholders. Comply with provisions of the Act, as amended from time to time, IRDA Act, 1999, IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002 and any other regulations, guidelines, circulars, directions issued by the Authority from time to time.
- (ii) **No ISP shall,--**
- (a) solicit or procure insurance business without holding a valid certificate,
 - (b) induce the prospect to omit any material information in the proposal form;
 - (c) induce the prospect to submit wrong information in the proposal form or documents submitted to the insurer for acceptance of the proposal;
 - (d) behave in a discourteous manner with the prospect;
 - (e) interfere with any proposal introduced by any other insurance intermediary;
 - (f) offer different rates, advantages, terms and conditions other than those offered by his insurer;
 - (g) demand or receive a share of proceeds from the beneficiary under an insurance contract;
 - (h) force a policyholder to terminate the existing policy and to effect a new proposal through him within three years from the date of such termination;
- (iii) Every ISP shall, with a view to conserve the insurance business already procured through him, make every attempt to ensure remittance of the premiums by the policyholders within the stipulated time, by giving notice to the policyholder orally and in writing;
- (iv) **FSE:** Every FSE shall abide by the code of conduct prescribed by the respective regulatory/statutory authority which oversees that particular activity.
- (v) **Violation of Code of Conduct by the ISP:** The Code of Conduct specified above has to be adhered to by the ISP. The Authority shall initiate disciplinary action against the ISP and the IMF they are representing for any non compliance.

SCHEDULE X

Maintenance of Professional Indemnity Insurance

1. The insurance cover must indemnify an insurance marketing firm against:
 - a. any error or omission or negligence on their part or on the part of their employees (including ISPs, FSEs) and directors;
 - b. any loss of money or other property for which the Insurance Marketing Firm is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
 - c. any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
 - d. dishonest or fraudulent acts or omissions by Insurance Marketing Firms' employees or former employees.
2. The indemnity cover:
 - a. shall be on a yearly basis for the entire period of registration;
 - b. shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the insurance marketing firm having first met the liability;
 - c. shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.

Provided that an indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements shall be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.
3. The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the insurance marketing firm in the business.

4. The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to:
 - a. provide the Insurance Marketing Firm with an annual certificate containing the name and address, including the registration number of the Insurance Marketing Firm, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority;
 - b. send a duplicate certificate to the Authority at the time the certificate is issued to the Insurance Marketing Firm; and
 - c. inform the Insurance Marketing Firm immediately of any case of voidance, non-renewal or cancellation of cover mid-term.
5. Every insurance marketing firm shall—
 - a. inform immediately the Authority should any cover be cancelled or voided or if any policy is not renewed;
 - b. inform immediately the insurer in writing of any claim made by or against it;
 - c. advise immediately the insurer of all circumstances or occurrences that may give rise to a claim under the policy ; and
 - d. advise the Authority as soon as an insurer has notified that it intends to decline indemnity in respect of a claim under the policy.

FORM A

[See regulation 4]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

Application for Insurance Marketing Firm Registration

Application for grant of registration

Name of the applicant: _____

Address of the Registered Office : _____

Address for Communication _____

Telephone No. _____

Mobile No. _____

Fax No. _____

Email _____

Website _____

Instructions for filling up the form:

It is important that before this application form is filled in, the regulations made by the Authority are studied carefully.

Applicants must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.

Application for registration will be considered only if it is complete in all respects.

Applicants should sign the applications themselves.

Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address - Principal Place of business/Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

** (Attach List of Addresses of Branch Offices if any)

1.4 Name and Designation of the Principal Officer:

1.5 Area of operation (See Regulation 19)

District	State

1.6 Insurance Activities proposed to be undertaken by the applicant:

Sl.No.	Details of Activities	please 'tick' wherever applicable
1.	undertaking back office activities of insurers as allowed in the Guidelines on Outsourcing Activities by Insurance Companies issued by the Authority	
2.	becoming approved person of Insurance Repositories	
3.	Undertaking survey and loss assessment work by employing on their rolls licensed surveyor & loss assessors	

1.7 Other financial products proposed to be marketed by the applicant:

Sl.No.	Details of products	please 'tick' wherever applicable
1	mutual funds of mutual fund companies regulated by SEBI	
2	pension products regulated by PFRDA	
3	other financial products distributed by SEBI licensed Investment Advisors	
4	banking/ financial products of banks/ NBFC regulated by RBI	
5	Non-insurance products offered by Department of Posts, Government of India	

2. ORGANISATION - STRUCTURE**2.1 Status of the Applicant:**

(e.g. Limited company-Private/Public, LLP/ Cooperative Society. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Category of Applicant	Details of Registration	Date of Incorporation DD_MM_YYYY	Place of Incorporation	Name of stock Exchanges (In case of listed Company)

2.2 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates

Share holding as on: _____			
Name of shareholder	No. of Shares held	% of total paid up capital of the company	Whether any of the shareholders holds a license issued by any other regulatory body/government or holds any shareholding in an entity licensed by any regulatory body/government, including IRDA. If yes, please specify

2.3 Particulars of all Directors/Partners

Name	Designation/Position	Qualification	Share in applicant entity	Directorship in other companies

2.4 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/Shareholder/ Director

2.5 Name and Address of the Principal Bankers of the applicant

The IMF and ISPs working under them may open account with those Bankers who have entered into an agreement with the Authority for providing information relating to payments made by IMF to ISPs on a regular basis for monitoring)

2.6 Name and address of the statutory auditors

3. BUSINESS INFORMATION :

- 3.1 Three years business plan document with projected volume of activities and income for which registration sought is to be specifically mentioned and attached to this application.
- 3.2 Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed.
- 3.3 Details of infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant.
- 3.4 Names of insurance companies with whom the applicant proposes to work with (to provide consent letters from respective insurance companies).
- 3.5 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION :

Net Worth

Note: Please enclose Chartered Accountant's certificate on the net worth of the applicant along with the certified financial statements as per regulation.

5. OTHER INFORMATION :

- 5.1 Details of all settled and pending disputes**:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

** Attach sheet if required

- 5.2 Details, if any of any economic offences by the applicant or any of the Directors, in the last three years.
- 5.3 Declaration of Fit & Proper Criteria (As per Annexure 1)

6. Documents attached (As per Annexure 2):**7. Fee Payment:**

Details of Payment:

Demand Draft No. -----Date -----

Name of the Bank:

Other modes of payment:

Note: A non-refundable fees of Rs. _____ (Plus service Tax) as specified in Regulation 4 of IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

8. Undertaking

- 8.1 Whether any person directly or indirectly connected to applicant has been refused for any registration/ license by the Authority in the past.

Name of the Person	Relationship with the applicant	Date and Reason for refusal

For the purpose of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means a relative in the case of any individual, and in the case of a firm or a Company or a body Corporate-an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant

8.2 Details about the Principal Officer of the Applicant:

Full Name						Mention Mr/Mrs		
Address								
Date of Birth						Phone No.		
Nationality						Cell No.		
Position in the organization						Fax No.		
Current Position Held from						Email ID		
Description of Duties/Responsibilities								
Qualifications, Experience & Achievements								
Educational Qualification								
Name of the Institute		Country		Qualification		Year of Study		
Professional Qualification								
Name of the Institute		Country		Qualification		Year of Study		
Working Experience								
Name of the Employer		Nature of Business		Designation		Description of Duties		Period

8.3 List of proposed ISPs responsible for soliciting and procuring Insurance Business

Name	Address	Qualification (Including details of IMF Exam Passing, specify certificate No.)	Pan No. or Aadhaar No. and address	Previous Employment, please specify in case of an insurance agent name of the insurer and license No.	Bank Account No., Name of the Bank and Branch

8.4 List of proposed employees responsible for undertaking insurance service activities

Name	Address	Qualification	Pan No. or Aadhaar No. address	Previous Employment, please specify in case of an insurance surveyor, please provide the license number	Bank Account No., Name of the Bank and Branch

8.5 List of proposed FSEs responsible for marketing of other financial products :

Name	Address	Qualification	Pan No. or Aadhaar No. Address	Details of certificate/license issued by statutory/regulatory/government Authorities	Bank Account No., Name of the Bank and Branch

DECLARATION

(This declaration is to be signed by two of the directors or two of the partners as the case may be)

I/We hereby apply for registration .

I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and am/are satisfied that—

- I/We am/are eligible to apply for the insurance marketing firm's registration.
- I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our registration.
- I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.
- I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the registration period.
- I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of registration subject to six months limit placed elsewhere.
- I/We declare that I/we do not possess an insurance agent license under section 42 of the Act, as amended from time to time.

For and on behalf of

Name

Designation

Name

Designation

Annexure - 1

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015**

Declaration and Undertaking for Principal Officer/Directors/Managing Partners

(A separate form needs to be submitted by each individual)

S. No.	Fit & Proper Criteria	Yes/No (If Yes, furnish full details)
a)	Have you ever registered or obtained license from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, FMC etc.	
b)	Have you carried on business under any name other than the name stated in this application.	
c)	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific license registration or other authorization is required by law.	
d)	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or license or registration by any regulatory authority to carry on any business activity.	
e)	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority.	
f)	Have you been convicted of any offence or subject to any proceedings under any law	
g)	Have you been banned from entry at any profession/occupation at any time.	
h)	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations.	
i)	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against you.	
j)	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
k)	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
l)	Have you at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities.	
m)	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDAI, MCA, PFRDA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
n)	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any license issued by the IRDAI.	
o)	Any other explanation/information considered relevant for judging fit and proper criteria.	

Undertaking

I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.

Signature

Name

Designation

Date:

Place:

Annexure 2

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015**

Documentation to be attached for obtaining Fresh Insurance Marketing Firm Registration

[See regulation 4 and Point 6 of the Form A]

A. Submission of Completed Application.

- a) Submission of relevant information as required in the FORM A.
- b) Remittance of requisite fee by demand draft payable at Hyderabad, as prescribed under Regulation 4 of IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.
- c) Submission of charter documents of the applicant (Memorandum and Articles of Association/Byelaws as the case may be).
- d) Declaration of Fit & Proper criteria from Principal Officer, Directors and Managing Partners (separately for each person) to be provided in the 'Fit and Proper Form'.
- e) Details of infrastructure along with supporting evidence thereof like ownership/lease agreement papers with regard to office space/equipment/trained manpower, etc. for the registered office and the branch offices at various locations.
- f) Projections of administrative expenses, salaries and wages and other expenses, draw the revenue account, the profit and loss account and the balance sheet for next 3 years.
- g) Organization chart giving a complete picture of the company's activities like IT, risk assessment, claims settlement, marketing, accounts, back office etc.
- h) Bring on record any other information, which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
- i) Any other requirements as deemed necessary by the authority.

B. Signatories

- a) Two Directors should sign the Application Form and the various formats mentioned above.
- b) The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents may be required based on, pattern of shareholding, any other matter required as per IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.

C. Personal Presentation

The applicant on fulfilling the given requirements to the satisfaction of the Authority may be required to appear before the Authority for a presentation of business plans in connection with the application.

Form B

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 FORM B [See regulations 10]

REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to _____ to act as _____ under that Act.

Registration Code for the Insurance Marketing Firm is _____

1. The IMF shall be allowed to operate in

District	State

2. Scope of Activities

Soliciting or Procuring Insurance Products	Yes/No
Insurance Service Activities	
a) Undertaking back office activities of insurers	a) Yes/No
b) Become approved person of IRs	b) Yes/No
c) Undertaking survey and loss assessment work	c) Yes/No
Distribution of other Financial Products	Yes/No

3. This Registration shall be valid from _____ to _____
4. This Registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date : _____

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF
INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015**

FORM D

[see regulation 14]

CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

Registration No:

- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby renews the registration of M/S ----- under Reg. ---- of the IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period ----- to-----
- The IMF shall be allowed to operate in

Revenue District	State

3. Scope of Activities

Soliciting or Procuring Insurance Products	Yes/No
Insurance Service Activities	
a) Undertaking back office activities of insurers	d) Yes/No
b) Become approved person of IRs	e) Yes/No
c) Undertaking survey and loss assessment work	f) Yes/No
Distribution of other Financial Products	Yes/No

- Issued at Hyderabad on----- day of -----Two thousand-----
- This registration shall be valid from _____ to _____
- This registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date : _____

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015**

FORM C

[SEE REGULATION 17]

DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No:

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to act as _____
_____ Insurance Marketing Firm under that Act.

1. The IMF shall be allowed to operate in

District	State

2. Scope of Activities-

Soliciting or Procuring Insurance Products	Yes/No
Insurance Service Activities	
d) Undertaking back office activities of insurers	g) Yes/No
e) Become approved person of IRs	h) Yes/No
f) Undertaking survey and loss assessment work	i) Yes/No
Distribution of other Financial Products	Yes/No

3. Registration Code for the Insurance Marketing Firm is _____

4. This registration shall be valid from _____ to _____

5. This registration is subject to the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date :

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

Insurance Regulatory and Development Authority of India**Application for Duplicate Registration**

I agree to inform you that my/our registration No-----has been

- a) Lost
- b) Destroyed
- c) Mutilated

By the following reasons-----

Fee payment: A non-refundable fee of Rs. 1000 will need to be paid to IRDAI

Payment details:

Demand Draft No: -----Date: -----Name of the bank: -----

Other modes of payment:

Declaration

I hereby apply for the duplicate certificate of registration under regulation 18. We therefore request the authority to kindly issue a duplicate certificate of registration in light of the circumstances explained above.

I -----solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

For and on behalf of

(Signature and Name of Applicant)

{Block Letters}

Place:

Date:

(Signature & Name of Applicant)

{Block Letters}

FORM AA

[See regulation 14]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm)
Regulations, 2015**

Application for Renewal of Insurance Marketing Firm registration

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address - Principal Place of business/Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

** (Attach List of Addresses of Branch Offices if any)

1.4 Area of operation (See Regulation 19)

District	State	Approved/Proposed	Name and Designation of the Principal Officer

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. Limited company-Private/Public, LLP/ Cooperative Society. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Category of Applicant	Details of Registration	Date of Incorporation DD_MM_YYYY	Place of Incorporation	Name of stock exchanges (In case of listed Company)

2.2 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or alongwith associates)

Share holding as on: _____		
Name of shareholder	No. of Shares held	% of total paid up capital of the company

2.3 Particulars of all Directors/Partners

Name	Designation/ Position	Qualification	Share in applicant Company	Directorship in other companies

2.4 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more directors/shareholders of the associate companies/ concern are interested in the applicant's business.

2.5 Name and Address of the Principal bankers of the applicant (State Bank of India)

2.6 Name and address of the statutory auditors

3. BUSINESS INFORMATION

Details of infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant (in case of additional areas of operation).

4. FINANCIAL INFORMATION :-

Net Worth

Note: Please enclose Chartered Accountant's certificate certifying the net worth of the applicant alongwith the certified financial statements for preceding 3 years.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes**:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

** Attach sheet if required

5.2 Details, if any of any economic offences by the applicant or any of the Directors, in the last three years.

5.3 Declaration of Fit & Proper Criteria (As per Annexure 1).

6. Documents attached (As per Annexure 1):**7. Fee Payment:**

Details of Payment:

Demand Draft No: -----Date: -----

Name of the Bank:

Other modes of payment:

Note: A non-refundable fees of Rs. _____ (Plus service Tax) as specified in Regulation 14 of IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

8. Undertaking

8.1 Whether any person directly or indirectly connected to applicant has been refused for the registration in the past or not

Name of the Person	Relationship with the applicant	Date and Reason for refusal

For the purpose of this sub-clause, the expression “directly or indirectly connected” means a relative in the case of any individual, and in the case of firm or a Company or a body Corporate-an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant

8.2 Qualification & Experience Details of The Principal Officer of The Applicant

Details of the Principal Officer					
Full Name				Mention Mr/Mrs	
Address					
Date of Birth			Phone No.		
Nationality			Cell No.		
Position in the organization			Fax No.		
Current Position Held from			Email ID		
Description of Duties/Responsibilities					
Qualifications Experience & Achievements					
Name of the Institute	Country	Qualification	Year of Study		
Professional Qualification					
Name of the Institute	Country	Qualification	Year of Study		
Working Experience					
Name of the Employer	Nature of Business		Designation	Description of Duties	Period

8.3 List of Employees who will be responsible For Soliciting And Procuring Insurance Business

Name	Address	Qualification(Including Insurance Broking Exam Passing)	Prior Experience (Including Insurance Broking Exam Passing)	Previous Employment	Details of Responsibilities

DECLARATION

(This declaration is to be signed by two of the directors, two of the partners as the case may be)

I/We hereby apply for renewal of registration.

I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and am/are satisfied that—

- g) I/We am/are eligible for renewal of insurance marketing firm's registration.
- h) I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our registration.
- i) I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.
- j) I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the registration period.
- k) I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of registration .

For and on behalf of

Name

Designation

Name

Designation

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015**

Documentation to be attached for renewal of Insurance Marketing Firm Registration**A. Submission of Completed Application.**

- a) Submission of relevant information as required in the FORM D.
- b) Remittance of requisite fee by demand draft payable at Hyderabad, as prescribed under Regulation 14 of IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.
- c) Declaration of Fit & Proper criteria from Principal Officer, Directors and Managing Partners (separately for each person) to be provided in the 'Fit and Proper Form'.
- d) Details of infrastructure along with supporting evidence thereof like ownership/lease agreement papers with regard to office space/ equipment/ trained manpower, etc. for areas of operation (existing and proposed).
- e) Renewal training certificate for 25 Hrs. undergone by the Principal Officer.
- f) Copies of Professional Indemnity insurance policies for last three years.
- g) Copies of previous three years annual reports.
- h) Bring on record any other information, which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
- i) Any other requirements as deemed necessary by the authority.

B. Signatories

- a) Two Directors and the Principal Officer should sign the Application Form and the various formats mentioned above.
- b) The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents will be advised based on, pattern of shareholding, any other matter required as per IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and views of the Authority.

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015
CERTIFICATE TO ACT AS INSURANCE SALES PERSON FOR AN INSURANCE MARKETING FIRM**

CERTIFICATE NO. [][][][][][][][][][]

NAME OF INSURANCE MARKETING FIRM: _____

ADDRESS: _____

REGISTRATION NO.: _____ DATE OF EXPIRY: _____

NAME OF THE CERTIFICATE HOLDER: _____

(INSURANCE SALES PERSON)

ADDRESS: _____

Having undergone the required training and examination conducted by the examination body _____ is hereby authorised to act as the Insurance Sales Person of the Insurance Marketing Firm for three years from _____ for procuring or soliciting insurance business, subject to the registration of IMF being in force.

Place

Date _____ for Insurance Regulatory and Development Authority of India

Signature of Certificate holder:

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT.-III/ Exty./4/161/14]